स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–26, अंक–6

ज्येष्ठ–ज्येष्ठ 2075, जून 2018

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4

समाचार परिक्रमा 34-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

ई–कॉमर्स: नकद फूंको व्यापार मॉडल

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 पड़ताल
परंपरागत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था
.... अनिल तिवारी

10 कृषि
अच्छे मानसून में भी उदास हैं किसान
.... देविन्दर शर्मा

12 विश्लेषण
छोटे उद्यमियों के दरवाजे तक पहुंच कर ही घाटे से उबर सकते हैं बैंक
.... शिवाजी सरकार

15 आपातकाल की यादें
आपातकाल: अविस्मरणीय रात्रि 9 सितंबर 1975 (कलकत्ता)
.... सरोज मित्र

16 बहस
चीन–भारत–अमेरिका: बनते बिगड़ते समीकरण
.... दुलीचन्द रमन

18 विमर्श
वित्तीय घाटे पर कारगर कदमों की जरूरत
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

20 समीक्षा
युद्ध में रोबोट का प्रवेश विनाशक
.... भारत डोगरा

22 मुद्दा
राज्यों को भी उठाने होंगे कारगर कदम
.... विक्रम उपाध्याय

24 विचार
शौचालय निर्माण व स्वच्छता मिशन का आर्थिक विकास में योगदान
.... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

26 शिक्षा
समग्र शिक्षा नीति की ओर–निर्णायक कदम (2)
.... डॉ. रेखा भट्ट

30 संस्कृति
भारतीय परिवार व्यवस्था: भारतीय सामाजिक जीवन का मूल आधार
.... रेणु पुराणिक

32 स्पष्टीकरण
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें किसानों के साथ धोखा है।
.... विवेकानंद माथने

पाठकनामा

एयर इंडिया को अच्छी नीति व नियत की जरूरत

हिन्दी मासिक स्वदेशी पत्रिका का मई 2018 अंक मिला। एयर इंडिया को निजी हाथों में बेचने पर पक्ष और विपक्ष में तरह–तरह के तर्क दिये जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एयर इंडिया अब घाटे का सौदा हो गई है, इसे उबारने का एक ही रास्ता है कि इसे निजी हाथों के हवाले कर दिया जाये। लेकिन एयर इंडिया को प्रारंभ से जानने वाले तथा विभिन्न संगठनों के लोगों का यह कहना है कि कुछ बड़ी कंपनियां अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए एयर इंडिया को हथियाने की जुगत में लगी हुई हैं। वे लाबिंग कर सरकार पर इस बात के लिए लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर एयर इंडिया से सरकार जल्दी–से–जल्दी पीछा नहीं छुडाती तो उसे और अधिक वित्तीय घाटे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में लाख टके का सवाल यह है कि कभी भारी मुनाफे में चलने वाली एयर इंडिया कब और क्यों घाटे में चली गई।

1932 में जे.आर.डी. टाटा ने एयर लाईंस के रूप में इसकी नींव रखी थी। वर्तमान में एयर इंडिया के पास 132 विमान है। यह 94 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रास्तों पर उड़ाने भरने की क्षमता रखती है। दुनिया भर में इसके पास बेसुमार संपत्तियां है। इन्हीं संपत्तियों पर निजी कंपनियों की नजर है। चूंकि एयर इंडिया में भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत अधिक है, इसलिए भी इसकी दुर्गति हुई है। पिछली सरकार में मुहमांगे दाम पर विमानों की खरीद हुई। जबकि यह तय तथ्य है कि दुनिया के विमान बाजार में काफी मोलभाव की गुंजाईश रहती है। लेकिन पिछले सरकार के लोगों ने मोलभाव तो दूर मुंहमांगे दाम पर विमानों की खरीद की। तय हुआ था कि अच्छे विमान लिये जायेंगे, जोकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे होंगे। लेकिन जो खरीदा गया, उसकी गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में है। इसमें कोई दोराय नहीं कि एयर इंडिया पर भारी कर्ज है, लेकिन सत्य यह भी है कि अपनी बेसुमार संपत्ति की बजह से ही एक महाराजा एयरलाईंस है। जरूरत है कि अच्छी नीति और नियत के साथ संकट से बाहर निकला जाये। जिस तरह 1983 में ब्रिटिश एयर कंपनी अपने संकट से उबर गई। भारत एयर इंडिया को क्यों नहीं उबार सकता?

वैदेही तिवारी, *93–ए, आरावली, नोयड़ा, उत्तर प्रदेश*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

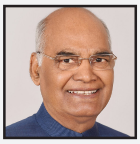

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी तरह बढ़ती रही तो हम निश्चित रूप से एक महाशक्ति बन जायेंगे।

महामहिम रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति, भारत

आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान के रूप में उभरा है। पूरा विश्व भारत को निवेश, इनोवेशन और विकास के एक केंद्र के रूप में देख रहा है।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

मैं भारत माता के महान सपूत को सम्मान व श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं।

प्रणव मुखर्जी
पूर्व राष्ट्रपति, भारत (संघ शिक्षा वर्ग, नागपूर में)

क्या नीति आयोग के पास कोई आधिकारिक शोध है जो यह दिखाता है कि मल्टी ब्रांड खुदरा विदेशी निवेश, खासतौर पर वालमार्ट डील से, जिसका वे समर्थन कर रहे है, रोजगार बढ़ता है।

डॉ. अश्वजी महाजन
राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

वित्त आयोग की शर्तों पर खलबली

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे हेतु संवैधानिक व्यवस्था के नाते ए.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। पूर्व के 14 वित्त आयोगों ने अपनी सिफारिशें दी, जिसको लगभग पूरी तरह से लागू किया गया है। संविधान के अनुसार कर इस प्रकार से लगाए जाते हैं, ताकि उनको एकत्र करने में सुविधा हो। राज्य सरकारों को जितना कर एकत्र करने का अधिकार है, उनकी जरूरतें उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है ताकि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के राजस्व में से भी कुछ हिस्सा मिले। हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन भी उसी क्रम में किया गया है। यूं तो जब भी नए वित्त आयोग का गठन होता है तो उसकी संदर्भ की शर्तों पर हमेशा से ही बहस चलती है। लेकिन इस बार यह बहस ज्यादा तीखी या यूं कहें कि कड़वी हो गई है। वित्त आयोग के संदर्भ में कई ऐसी शर्तें डाली गई हैं, जिनसे राज्य, खासतौर पर गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारो वाले राज्य खासे नाराज हैं। 15वें वित्त आयोग में यह संदर्भ डाला गया है कि क्या राजस्व घाटे संबंधी अनुदान के बारे में आयोग विचार करेगा या नहीं? विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्य इस संदर्भ को हटवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है कि ऐसा होने पर उनका राजस्व घाटे संबंधी अनुदान (ग्रांट) बंद हो सकता है। वित्त आयोग को यह भी निर्देश दिया गया है कि पिछले वित्त आयोग द्वारा राज्यों को करो में ज्यादा हिस्सा मिलने के कारण केन्द्र के राजकोष की स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करे और 'न्यू इंडिया 2022' समेत राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की जरूरत के साथ इसे जोड़कर देखा जाए। गौरतलब है कि पिछले वित्त आयोग ने करों में राज्यों के हिस्सों को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर अचानक 42 प्रतिशत कर दिया था, जिसके चलते राज्यों की आमदनी तो बढ़ गई लेकिन केंद का बजट बिगड़ गया। पिछले कई वित्त आयोगों में केन्द्रीय राजस्व में राज्यों के हिस्से को विभिन्न राज्यों के बीच बांटने का फार्मूला निर्धारित करने हेतु 1971 की जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाता रहा है। इस बार सरकार ने 15वें वित्त आयोग की संदर्भ की शर्तों में 2011 के जनगणना आंकड़ों को इस्तेमाल करने का निर्देश जारी किया है। दक्षिण के राज्यों ने इसके लिए अपनी शिकायत दर्ज की है कि इस नई शर्त के कारण उन्हें इसका नुकसान हुआ है और इसलिए इन सभी राज्यों ने इक्कठा होकर इसके खिलाफ आवाज उठाना तय किया है।

भारत में वर्तमान में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि दक्षिण के राज्यों में एक में भी उनकी सरकार नहीं है, इसलिए अपने चहेते उत्तर के राज्यों, जहां उनकी सरकारें हैं, को फायदा पहुंचाने के लिए यह सारी कवायद की जा रही है। चाहे कुछ भी कहा जाये, जनसंख्या के अद्यतन आंकड़े इस्तेमाल करना ही उचित प्रतीत होता है। केन्द्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे को कुछ प्रमाण तक जनसंख्या के आधार पर ही तय किया जाता है। इसलिए यदि ऐतिहासिक तौर पर 1971 की जनगणना के आंकड़ों का संदर्भ वित्त आयोग को दिया जाता रहा है, तो वह औचित्यपूर्ण नहीं रहा है। यह समता के आधार पर भी सही नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है कि ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा धन की जरूरत होती है, ताकि लोगों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें और उन्हें गरीबी से बाहर लाया जा सके। हमें समझना होगा कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो राजनीति से ऊपर मानी जाती है, जिसकी सिफारिशों को बिना कोई प्रश्न उठाये माना जाता रहा है। इसी प्रकार एक बार घोषित होने के बाद संदर्भ शर्तों को कभी बदला भी नहीं गया है। माना जाता है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध एक रस्साकशी के समान होते हैं, जिसमें राज्य हमेशा यह प्रयास करते हैं कि उनको केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा हिस्सा और अनुदान मिले, जबकि केन्द्र सरकार की हमेशा यह मंशा रहती है कि राज्यों को उसे ज्यादा पैसा न देना पड़े। लेकिन यह रस्साकशी केवल केन्द्र और राज्यों के बीच में ही नहीं होती, बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच भी होती है और प्रत्येक राज्य यह चाहता है कि राज्यों को मिलने वाले कुल हिस्से में से उसका हिस्सा ज्यादा से ज्यादा हो। इस रस्साकशी में वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा उसको दी गई संदर्भ शर्तों के मद्देनजर अपने विवेक का प्रयोग कर अपनी सिफारिशें देता है। देखना होगा कि एन.के सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग इस खींचतान में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं।

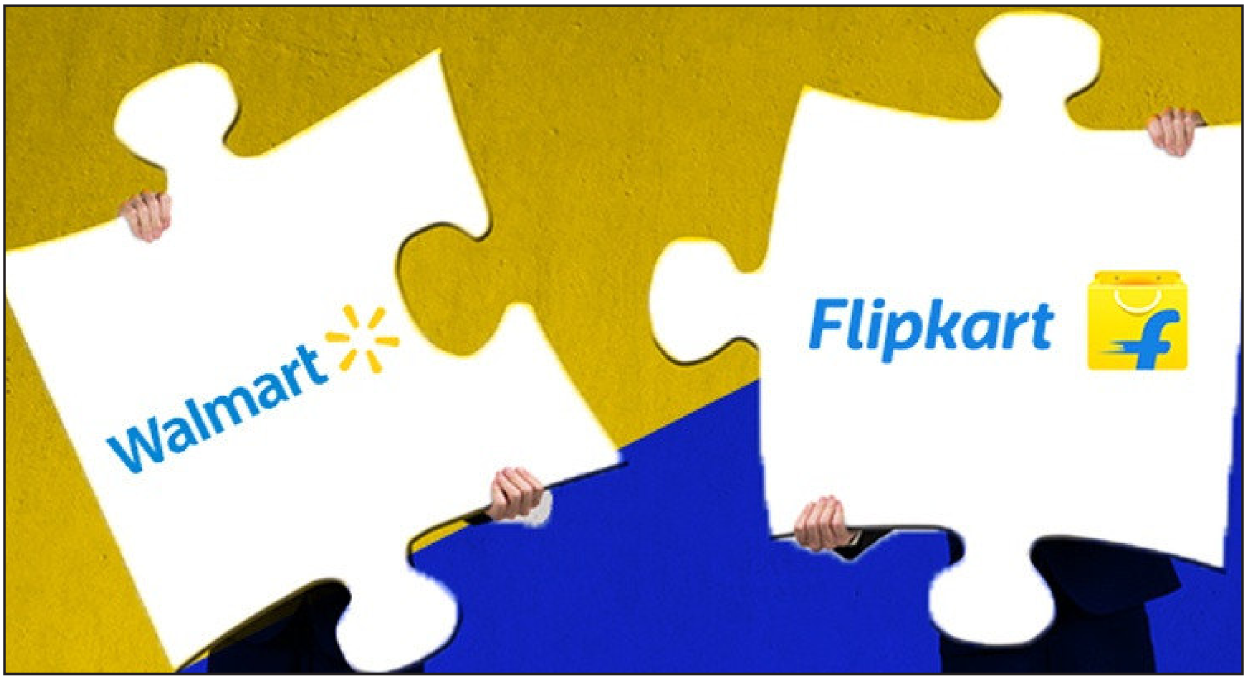

ई–कॉमर्सः नकद फूंको व्यापार मॉडल

कुछ समय पहले एक 'डील' हुई, जिसमें वालमार्ट (एक अमरीकी खुदरा व्यापार कंपनी) ने भारत में काम करने वाली एक ई–कॉमर्स कंपनी फिलपकार्ट के 77 प्रतिशत शेयरों की खरीद के साथ, उसकी बड़ी भागीदार इकाई बनने जा रही है। इस डील में वालमार्ट ने उस कंपनी के 77 प्रतिशत शेयर 16 अरब डालर में खरीदें। इस डील के तहत 2.2 अरब डालर फिल्पकार्ट कंपनी में रहेंगे और शेष पैसा इस कंपनी के विदेशी निवेशकों के हाथ में जाएगा। यह ई–कॉमर्स के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि फिल्पकार्ट की कीमत 20 अरब डालर मानी गई, जिसमें से 77 प्रतिशत शेयर 16 अरब डालर यानि 1 लाख 8 हजार करोड़ रूपए में वालमार्ट खरीदने जा रही है।

अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि जिस कंपनी ने कभी लाभ न कमाया हो, और जिसके नुकसान दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हों, उस कंपनी की कीमत लगातार कैसे बढ़ सकती है?

– **डॉ. अश्वनी महाजन**

घाटे के बावजूद फिलपकार्ट की लगातार बढ़ती कीमत

फिलपकार्ट कंपनी जबसे बनी है, उसने कभी किसी भी साल लाभ नहीं कमाया। 2008 में यह कंपनी बनी और 2017 तक उसका कुल नुकसान 24000 करोड़ तक पहुंच चुका था। 2017–18 में उसका नुकसान और 29000 करोड़ रूपए बताया जा रहा है। यानि 2018 तक उसका नुकसान 48000 करोड़ रूपए हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि अगस्त 2017 में इस कंपनी की कीमत 10 अरब डालर आंकी गई और कंपनी के 22 प्रतिशत शेयरों के बदले एक निवेशकर्ता कंपनी सॉफ्टबैंक ने 2.2 अरब डालर दे दिए और मई 2018 में इसी कंपनी की कीमत 20 अरब डालर आंकी गई और उसके 77 प्रतिशत शेयरों के लिए 16 अरब डालर देने की पेशकश एक खुदरा व्यापार कंपनी वालमार्ट ने कर दी, और यह सौदा तय हो गया। अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि जिस कंपनी ने कभी लाभ न कमाया हो, और जिसके नुकसान दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हों, उस कंपनी की कीमत लगातार कैसे बढ़ सकती है?

क्यों हो रहा है घाटा?

किसी भी व्यापारी को बिजनेस चलाने में घाटा हो सकता है। मांग घटने के कारण, लागत बढ़ने के कारण, गलत निर्णयों के कारण या किसी अन्य कारण से, लेकिन हर व्यवसाय यह कोशिश करता है कि जितनी जल्द हो सके उस नुकसान से निजात पा लिया जाए। लेकिन फ्लिपकार्ट समेत कई बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियां लगातार नुकसान में है, लेकिन यह नुकसान जानबूझ कर किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, उबर, ओला और अन्य कई कंपनियां जानबूझ कर अपना नुकसान कर रही हैं, जिसका हेतु यह है कि उस बाजार में अन्य व्यवसायियों को बाहर किया जा सके। उदाहरण के लिए ये कंपनियां 100 रूपए का सामान विक्रेता से खरीदकर वही सामान उपभोक्ता को 80 रूपए या उससे भी कम बेचने का काम कर रही है। यह खुलासा हाल ही में एक आयकर के मुकदमें के फैसले में हुआ है।

फ्लिपकार्ट की एक बी2बी कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आयकर के एक मुकदमे में जब आयकर अधिकारी ने उनसे पूछा कि आप महंगा सामान खरीदकर ग्राहकों को सस्ता सामान देकर जानबूझ कर नुकसान क्यों कर रहे हैं, आयकर अधिकारी ने यह भी कहा कि यह कोई सामान्य व्यापारिक कार्यप्रणाली नहीं है। जानबूझ के किए गए नुकसान पर आयकर विभाग विश्वास नहीं करता। तो कंपनी के प्रतिनिधि ने आयकर अधिकारी को यह बताया कि वो ऐसा जानबूझ कर रहे हैं और इससे कंपनी को लाभ हो रहा है। कंपनी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यन एजेंसियां उनकी कंपनी का मूल्यन बढ़ाती जा रही हैं, क्योंकि इस नुकसान के माध्यम से वे अपने बाजार का विस्तार कर रहे हैं। यह बात फ्लिपकार्ट के मूल्य में लगातार वृद्धि से सिद्ध भी हो रही है। यानि यह बिजनेस मॉडल नकद फूंको बिजनेस मॉडल है। इसमें कंपनी चीजों को खरीद भाव से कम में बेचते हुए, अपने निवेशकों से मिला हुआ निवेश क्रमिक रूप से फूंकते हुए अपना बिजनेस चला रही हैं और लगातार अपनी कंपनी का मूल्य बढ़ाती जा रही हैं। लेकिन यहां यह देखना होगा कि ऐसा करते हुए वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाजार से बाहर करती हैं, ये प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि छोटे दुकानदार, व्यापारी और अन्य छोटे ई–कॉमर्स स्टार्ट–अप हैं जो इस वित्तीय ताकत के सामने कमजोर हैं, क्योंकि वे इन बड़ी ई–कॉमर्स कंपनियों जैसे डिस्काउंट नहीं दे पाते। यानि यह नकद फूंको बिजनेस मॉडल ही नहीं, बल्कि गला काट बिजनेस मॉडल भी है।

क्यों बड़े-बड़े वकीलों और सलाहकारों के माध्यम से पेचीदा कॉरपोरेट जाल बिछाकर नियामक एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने वाली इन कंपनियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया?

क्या कानून देता है इसकी इजाजत?

बड़ा प्रश्न यह है कि इस प्रकार का बिजनेस मॉडल जो स्थापित दुकानदारों और उद्यमियों को बाजार से विस्थापित करने का काम करे, क्या वो नैतिक बिजनेस मॉडल है? स्वभाविक उत्तर है नहीं। आज के इस युग में नैतिकता की बात करना दकियानूसी माना जाता है। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कानून इस बात की इजाजत देता है?

वर्ष 2016 से पहले किसी भी प्रकार के ई–कॉमर्स व्यवसाय में विदेशी निवेश को अनुमति नहीं थी। 2016 में डीआईपीपी के प्रेस नोट–3 के तहत ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई। लेकिन इसके साथ यह भी शर्त रखी गई कि कोई भी ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाजार कीमत को प्रभावित करने का काम नहीं कर सकता है। यह भी शर्त रखी गई कि प्लेटफॉर्म कंपनी किसी भी प्रकार का स्टॉक नहीं रख सकती। नियमों को धत्ता दिखाते हुए फ्लिपकार्ट, एमेजॉन सरीखी कंपनियां न केवल प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए भारी मात्रा में डिस्काउंट देती है, बल्कि अपने पास स्टॉक भी रखती हैं। नियमों का खुलमखुल्ला उल्लंघन होता रहा, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि किसी सरकारी एजेंसी ने इन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की।

ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि विदेशियों को लगातार अपने शेयर बेचकर (पूंजीगत लाभों के साथ) पैसा उगाहने वाली और उसे फूंकने वाली ये कंपनियां विदेशी निवेश नियमों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों और विभिन्न प्रकार के अन्य नियमों का उल्लंघन करने के बाद, क्या अपनी कंपनी को बेचकर निकल सकती हैं? क्या देश के कानून सामान्य लोगों पर ही लागू होते हैं? क्यों बड़े–बड़े वकीलों और सलाहकारों के माध्यम से पेचीदा कॉरपोरेट जाल बिछाकर नियामक एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने वाली इन कंपनियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा गया? यह सवाल सभी सरकारी एजेंसियों और कांपिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने है।

देखना यह है कि ये एजेंसियां इन सवालों का सीधा जबाव देती हैं या इस मायाजाल से बर्बाद होते छोटे व्यापारियों और उद्यमियों की कीमत पर इस कंपनी को क्लीन चिट देते हुए फ्लिपकार्ट वालमार्ट डील को हरी झंडी दे दी जाएगी और इसके साथ ही देश के करोड़ों उभरते ई–कॉमर्स व्यवसायियों, छोटे व्यापारियों और छोटे–बड़े उद्योगों का सफाया होने का रास्ता खुल जाएगा। ❑❑

परंपरागत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था

आये दिन बैंकों में हो रहे घोटाले, कतिपय लोगों द्वारा बैंकों को चूना लगाने, आम उपभोक्ता को अनायास ठग लिये जाने, देश की जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई कुछ चतुर चोरों द्वारा लेकर चम्पत हो जाने की घटनाओं से देश की बैंकिंग व्यवस्था की साख संदेह के घेरे में है। बैंकिंग की मौजूदा केंद्रीय व्यवस्था में इतने तरह के छेद हो गये हैं कि आम आदमी अपनी पूंजी को लेकर सशंकित रह रहा है। छोटे–छोटे बैंक नियम–कानून का हवाला देकर कारबार तो शुरू करते है पर जनता को लूटकर नियम–कानून को धत्ता बता रफूचक्कर हो जाते हैं। महंगी अदालती कार्यवाही आम लोगों को समय पर राहत नहीं पहुंचाती, ऐसे में लोगों के बीच परंपरागत बैंकिंग व्यवस्था एक विकल्प के रूप में भी उभरती है।

भारत में बैंकिंग व्यवस्था की विधिवत शुरूआत अंग्रेजों द्वारा मानी जाती है। बैंकिंग के इतिहासकार भी 18वीं शताब्दी से ही बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ मानते है। 1740 ई. में हालांकि दुनिया का पहला बैंक स्थापित हो गया था, किंतु इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 19वीं शताब्दी में स्थापित किए गए बैंक से इसकी शुरूआत बतायी जाती है। क्या इससे पहले भारत में बैंकिंग की कोई पद्धति थी या नहीं? यदि थी तो वह कैसी थी?

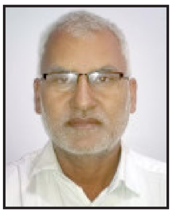

सीधे शब्दों में बैंकिंग का मुख्य काम धन का लेन–देन है और धन (ऋण) के लेन–देन की बात आते ही हमें सूदखोर और साहूकार महाजनों की याद आती है। साहूकार या महाजन यानि आधुनिक बैंकिंग से परे लेन–देन की एक व्यवस्था। यदि उसमें से शोषण के मामलों को हटाकर बैंकिंग की नजर से देखें तो पूरे भारतवर्ष में इसकी एक शानदान व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का आरंभ वेदों से ही हो जाता है। वेदों में ब्याज पर ऋण के लेन–देन को कुसीद कहा है। वैदिक प्रेरणा हमें कर्ज मुक्त रहने के लिए कहती है। गुह्यसूत्रों में कहा है *'अनृणास्याम'* यानि हम कर्ज मुक्त रहे। परंतु वेदों ने कुसीद को एक व्यवस्था माना है। मनुस्मृति में कहा है–*'पशुनां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च वाणिक्पथं कुसीद च वैश्यस्य कृषिमेव च।'* अर्थात गौर आदि की रक्षा विद्या धर्म की वृद्धि के लिए दान देना, अग्निहोत्र करना, कृषि करना और ब्याज पर धन लेना–देना, वैश्यों के कर्त्तव्य है। यहां कुसीद की व्याख्या करते हुए दयानंद सरस्वती कहते है कि *'सवा रूपये से अधिक और चार आने से कम ब्याज न लें, न दें। जब दूना धन आ जाये तो कौड़ी भी न लें, न दें। जितना ब्याज कम लिया जायेगा, उन्नति होगी। कुल में कुसंतान नहीं पैदा होगी।'* हालांकि दयानंद सरस्वती ने इस बावत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन समझा जा सकता है कि यह एक आदर्श व्यवस्था के रूप में कभी मौजूर रहा होगा।

कुसीद की पुरानी व्यवस्था का ही आगे चलकर महाजनी व्यवस्था में रूपांतरण हुआ। इस पर किसी का एकाधिकार नहीं था। घरेलू औरतें भी सामान गिरवी रखकर ब्याज पर उधार देती थी। बहुत हद तक इस व्यवस्था को कई स्तर पर नियंत्रण प्राप्त था।

– अनिल तिवारी

कुसीद की पुरानी व्यवस्था का ही आगे चलकर महाजनी व्यवस्था में रूपांतरण हुआ। इस पर किसी का एकाधिकार नहीं था। घरेलू औरतें भी सामान गिरवी रखकर ब्याज पर उधार देती थी। बहुत हद तक इस व्यवस्था को कई स्तर पर नियंत्रण प्राप्त था। राज्य भी इसे प्रोत्साहन देता था। इस व्यवस्था में भी कई स्तर विकसित हुए। सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण साहूकार थे, उसके ऊपर बड़े सेठ, नगर सेठ और कुछ स्थानों पर ये जमींदार बन गए। सबसे ऊपर जगत सेठ बनें। इस प्रकार हम पाते हैं कि ब्याज पर धन देने वाली घरेलू औरतें छोटे–छोटे

महाजनों और साहूकारों के बल पर यह व्यवस्था विकसित होती गयी तथा इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया। 18वीं शताब्दी के आने तक देश में जगत सेठों की चलती थी।

थामस ए टिम्बरवर्ग ने लिखा है कि 'ये व्यापारी न केवल व्यापार के लिए धनापूर्ति करते थे, बल्कि राज्यों तथा राजाओं को भी धन दिया करते थे।'

पहली शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत की सहभागिता कभी भी 25 प्रतिशत से कम नहीं रही। पिछले दो हजार वर्षों तक भारत पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर था। 18वीं शताब्दी तक भारत की सीमाएं पश्चिमोत्तर में काबुल तक थी, उस समय अफगानिस्तान या पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। 16वीं शताब्दी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में यूरोपीय व्यापारियों का प्रवेश बढ़ने लगा। उन्होंने यहां कुछ सहयोगी भी बनाए, जिनमें मारवाड़ी भी थे। बाजार आधारित व्यवस्था में मारवाड़ी सेठों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये मारवाड़ी पूरे देश में फैले हुए थे। ये राजस्थान के विभिन्न राजघरानों को धन प्रदान किया करते थे।

शेखावटी के इतिहास में दर्ज है कि वहां के लोग मुंबई, कोलकात्ता की यात्रा के समय वहां के मारवाड़ियों से धन प्राप्त करते थे। कुछ मारवाड़ी घराने स्थानीय विद्रोहियों को भी धन देते थे। एक अन्य उल्लेख में 'ओसवाल घराना बैंकर और फाडनेंसर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वह मुगलों को भी धन उपलब्ध कराता था। ये मारवाड़ी घराने सभी शासकों चाहें हिन्दू हो या मुस्लिम को कर्ज दिया करते थे। बंगाल के जगत सेठ का दायरा और भी बड़ा था। सन् 1718 से 1730 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ से प्रतिवर्ष 4 लाख रू. और फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी 15 लाख रू. प्रतिवर्ष कर्ज लिया करती थी।

प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भी मूलतः बंगाल के जगत सेठ के कारण ही हुआ था। जगत सेठ से बंगाल के नवाब ने ढेर सरा धन उधार लिया था। सिराजुद्दौला ने जब बंगाल पर कब्जा किया तो जगत सेठ ने उससे अपना धना मांगा। सिराजुद्दौला ने कहा कि चूंकि उधार पहले के नवाब ने लिया है, इसलिए वह नहीं चुकायेगा। सेठ का कहना था कि नवाब कोई भी रहे कर्ज तो राज्य ने लिया है, उसे चुकता करना ही चाहिए और यहीं परिपाटी चली आ रही थी। जगत सेठ ने अपने रूपयों की वसूली के लिए अंग्रेजों से सहायता ली।

मारवाड़ियों के अलावा पंजाब, सिंध और मुल्तान के व्यापारी भी बैंकिंग का का किया करते थे। आज की भाषा में कहें तो वे एक प्रकार से मल्टीनेशनल बैंक थे। हिन्दू व्यापारी मध्य एशियाई अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु थे। वे रोपाई के लिए किसानों को कर्ज देते थे, कटाई के मौसम में उनकी फसलें खरीदते थे। स्थानीय शासक उन्हें पर्याप्त संरक्षण और प्रोत्साहन देते थे, क्योंकि इससे करों का संग्रहण बढ़ता था। उत्तर भारत के साथ–साथ दक्षिण भारत में भी भारतीय बैंकरों की समृद्ध परंपरा थी। रोमन व्यापारियों द्वारा यहां के मुसीरी तमिलनाडू के व्यापारियों से कर्ज लेने के प्रमाण अक्सर मिलते है।

भारत की इस समृद्ध परंपरा को अंग्रेजों ने नष्ट किया। चूंकि भारतीय व्यापारियों के वर्चस्व के कारण उनका शासन खतरे में रहता था, क्योंकि ये घराने शासन को भी धन दिया करते थे और उनके मनोनुकूल न होने पर विद्रोहियों द्वारा शासन पलटवाया करते थे। कालांतर में विशेषकर 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब शासन व्यवस्थाएं कमजोर होने लगी तो इनके द्वारा शोषण भी शुरू हो गया। अकाल और अन्य अभाव के दौर में अत्याचार बढ़ने लगा। व्यवस्थाएं चरमरा उठी, जब नियंत्रण करने के लिए कई कानून बनाए गये।

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्थानीय महाजनों की वह समृद्ध परंपरा समाप्त हो गयी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी विकेंद्रित बैंकिंग प्रणाली का योगदान है। इसका एक उदाहरण है–लघु बैंकिंग प्रणाली के तर्ज पर खेली जाने वाली आर्थिक कमेटी। यह कमेटी 12 से लेकर 20 महीने की छोटी अवधि के लिए होती है और इसमें निश्चित संख्या में सदस्य होते हैं। इससे होने वाली आय को बराबर मात्रा में सभी को बांट दिया जाता है। हालांकि यह एक गैरकानूनी है किंतु उसकी व्यापकता बनी हुई है।

परिणाम यह है कि परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली हमेशा से विकेंद्रित और राज्य निरपेक्ष रही है। यही व्यवसाय के हित में भी है। व्यवसाय का राज्याश्रित होने से केवल नुकसान ही है। परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली की ही देन थी कि जिस कालखंड को भारत की राजनीतिक गुलामी का दौर कहा जाता है उस दौर में भी भारत दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। आज भी यदि हम सरकारी आंकड़ों को छोड़कर सामाजिक आकलन करें तो समाज में धन के वितरण में परंपरागत बैंकिंग का योगदान राज्याश्रित बैंकिंग से कही अधिक है।

परंपरागत भारतीय बैंकिंग प्रणाली में न्याय की जरूरत है। अंग्रेजों से पहले राज्य न्याय उपलब्ध कराते थे, इसीलिए अंग्रेजों से पहले हिन्दू शासकों के शासन में जनता कभी पीड़ित नहीं रही। अंग्रेजों के काल में कागजों का महत्व बढ़ने पर यहां न्याय व्यवस्था की कमी हो गयी। अच्छा तो यह होगा कि बैंक सुधारों के आधुनिक युग में हम फिर से परंपरागत बैंकिंग प्रणाली को प्रभावी बनाने की व्यवस्था करें। कागजों के बिना मौखिक, आर्थिक व्यवहारों में होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ने में राज्य को अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए, तभी यह संभव होगा। ❑❑

अच्छे मानसून में भी उदास हैं किसान

समय से तीन दिन पहले मानसून केरल पहुंच चुका है। यह खबर खेती–किसानी के लिए ही अच्छी नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों का उत्साह व उम्मीद जगाने वाली भी है। इस साल मानसून सामान्य रहेगा। यानी यह लगातार तीसरा साल होगा, जब मानसूनी बारिश अच्छी बरसेगी। हमारी खेती करीब–करीब मानसून पर टिकी है। ऐसे में, अगर फसल अच्छी होती है, तो एक अच्छी आर्थिकी की नींव तैयार होगी। दिवंगत चतुरानन मिश्र बतौर कृषि मंत्री संभवतः इसीलिए मानसून को 'वास्तविक कृषि मंत्री' कहते थे।

लगातार दो साल 2014 और 2015 में सूखा झेलने के बाद मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों पर उदार रहा है। यह कृषि के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि 60 फीसदी खेती योग्य भूमि मानसूनी बारिश पर निर्भर है। सामान्य बारिश होने से सिंचाई के इलाकों में डीजल और बिजली पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे किसानों की लागत घट जाती है। इसके अलावा, सामान्य मानसूनी बारिश पेयजल की भारी कमी से जूझ रहे उत्तर व मध्य भारत की सूखी जमीन के लिए भी राहत लेकर आती है। यहां 91 प्रमुख जलाशयों की जल भंडारण क्षमता बढ़ जाने से सिंचाई और पेयजल की निरंतर आपूर्ति में काफी मदद मिलती है।

यह सही है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 'सामान्य वर्षा' की भविष्यवाणी की है, जिसका अर्थ है कि इस बार दीर्घकालिक औसत की 97 फीसदी बारिश होगी। मगर इसमें एक पेंच है। आशंका यह भी है कि इस वर्ष 44 फीसदी कम या सामान्य से कमतर बूंदें गिर सकती हैं। 'सामान्य वर्षा' की भविष्यवाणी निश्चय ही अर्थव्यवस्था को सुखद एहसास दे रही है, पर बारिश में औसत कमी का देश के बड़े हिस्से पर असर पड़ सकता है।

पिछले साल भी 'सामान्य बारिश' की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन कम से कम 40

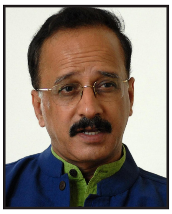

हमारी खेती करीब–करीब मानसून पर टिकी है। ऐसे में, अगर फसल अच्छी होती है, तो एक अच्छी आर्थिकी की नींव तैयार होगी। दिवंगत चतुरानन मिश्र बतौर कषि मंत्री संभवतः इसीलिए मानसून को 'वास्तविक कषि मंत्री' कहते थे।
– देविन्दर शर्मा

फीसदी जिलों में अपेक्षाकृत कम बरसात हुई। जैसे, महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में क्रमशः 32 और 28 फीसदी कम बूंदें बरसीं। गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी पिछले साल कम बारिश हुई थी।

हालांकि देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश के बाद भी 2017–18 में 27.95 करोड़ टन अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है। इसमें चावल–उत्पादन में वृद्धि का काफी बड़ा योगदान है। इसकी खेती भी मानसूनी बारिश की तीव्रता और प्रसार पर निर्भर करती है। अनुमान है कि इस साल देश भर में 11.15 करोड़ टन चावल की पैदावार हुई है, जबकि 2016–17 में यह उपज 10.97 करोड़ टन थी। अच्छे मानसून के कारण दालों का भी रिकॉर्ड 2.45 करोड़ टन उत्पादन हुआ है। हालांकि इसके कारण किसानों की आमदनी में कमी भी आई है।

साल–दर–साल रिकॉर्ड उपज से निश्चय ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य महंगाई दर को काबू करने में मदद मिलती है, मगर त्रासदी यह है कि देश में चाहे सामान्य मानसून रहे या सूखे की स्थिति, किसानों की दशा बदस्तूर खस्ताहाल ही बनी रहती है। पिछले 20 वर्षों का ही आकलन करें, तो ज्यादातर साल सामान्य मानसून रहने के बाद भी किसानों की आमदनी लगातार कम हुई है। साफ है कि मानसून अच्छा हो या खराब, किसानों पर घिरे संकट के अंधेरे बादल नहीं छंटने जा रहे। नीति आयोग का अध्ययन भी बताता है कि 2011–12 और 2015–16 के दरम्यान किसानों की वास्तविक औसत आमदनी हर साल आधा फीसदी से भी कम यानी 0.44 प्रतिशत बढ़ी है। इन पांच वर्षों में 2014 और 2015 ही सूखे के वर्ष थे, जबकि बाकी के तीनों साल लगभग सामान्य बारिश के गवाह रहे। इसीलिए यह सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि जब सामान्य मानसून बाकी अर्थव्यवस्था में उत्साह बढ़ाने का काम करता है, तो घोर बदहाली में जी रहे किसानों को किसी तरह की राहत देने में यह विफल क्यों रहता है?

साल 2016 और 2017 में भी अच्छे मानसून होने और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद किसानों की आर्थिक दशा काफी प्रभावित हुई थी। देश के कई हिस्सों में हमने उन्हें टमाटर, आलू, प्याज और लहसून सड़कों पर मजबूरन फेंकते हुए देखा था। दाल का ही उदाहरण लें। इसकी उपज में वृद्धि होने के कारण मंडियों में किसानों के हाथों में कम पैसे आए। दालों की कीमतें औसतन 20 से 45 फीसदी गिरने का आकलन कई अध्ययनों में किया गया है। जबकि 2014 और 2015 में सूखे के दौरान भी किसानों के लिए कई फसलों का कृषि मूल्य लाभदायक रहा था। यह भ्रमित कर देने वाला तथ्य है, जो साफ–साफ सकल खाद्य कुप्रबंधन की ओर इशारा कर रहा है। दुर्भाग्य से यह कुप्रबंधन आज भी बना हुआ है।

विडंबना दूसरी यह है कि सामान्य मानसून वाले वर्ष को हमेशा आर्थिक विकास के एक सहारे से अधिक नहीं देखा जाता। एक अच्छा मानसून निश्चय ही किसानों के उस दर्द को कम करता है, जो सूखे में उन्होंने भुगता था, मगर उद्योग जगत को सामान्य मानसून से जैसी उछाल मिलती है, वैसी कृषि में कभी नहीं देखी गई है। अन्यथा मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि देश के 17 राज्यों के कृषि परिवार की औसत आय महज 20 हजार रुपये सालाना हो। जबकि आबादी के लिहाज से ये परिवार देश की लगभग आधी जनसख्या हैं।

यह स्थिति साफ–साफ बता रही है कि नीतिगत स्तर पर हम सूखे से जूझ रहे हैं। नीतियों का यह सूखा इतना जबर्दस्त है कि अच्छा मानसून भी किसानों की आय बढ़ाने में सफल नहीं हो पा रहा। इसके लिए किसान कतई दोषी नहीं हैं। वे तो पैदावार बढ़ाने के लिए जी–जान लगा देते हैं। दरअसल, यह अक्षमता हमारे नीति–निर्माताओं की है, जो मुश्किलों से घिरे खेतिहर समुदाय के चेहरे पर हंसी लाने में अब तक नाकाम रहे हैं। ❑❑

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

छोटे उद्यमियों के दरवाजे तक पहुंच कर ही घाटे से उबर सकते हैं बैंक

भरोसेमंद बैंकिंग सिस्टम और एक समानांतर अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार रहे हैं। देश के 11 सरकारी बैंक 31,688 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहे हैं और उन्हें अपने नुकसान से उबरने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की पूंजी की और जरूरत है। यह उस 90,000 करोड़ रुपये से अलग है जो पहले ही लगाया जा चुका है। समांतर अर्थव्यवस्था–काले धन से चलने वाली अर्थव्यवस्था नहीं–जिस संकट का सामना कर रही है, उससे पूरे देश के ग्रामीण, लघु और मझोले उद्योग और खुदरा बाजार प्रभावित हो रहे हैं। दक्षिण के राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने इस बावत 15वें वित्त आयोग को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है।

केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय भी समान रूप से चिंतित हैं। रिजर्व बैंक ने 11 बैंकों को 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन' की श्रेणी में रखा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि लाभांश पर प्रतिबंध के साथ ही ज्यादा पूंजी लगाने के लिए तैयार रहना होगा। वित्त मामलों की संसदीय समिति एनपीए के मुद्दे को समझने के लिए आरबीआई के गवर्नर से जून में मुलाकात करेगी। एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट) अब कुल बैंकिंग पूंजी का लगभग दस फीसदी हिस्सा हो चुका है।

सब के लिए भोजन, सड़क निर्माण और मूलभूत संरचना से जुड़े दूसरे कार्यक्रमों को दशकों से बैंकों का समर्थन मिलता रहा है। प्राइवेट सेक्टर को भी लाभ मिला, लेकिन इस प्रक्रिया में नहीं लौटाए गए कर्ज की बड़ी राशि इकट्ठा होती गई। परिणामस्वरूप वर्तमान संकट की स्थिति पैदा हो गई। 2016–17 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक विकराल एनपीए के लिए 50 बड़े कॉर्पोरेट घराने जिम्मेदार हैं।

यह समस्या उस संकट से अलग है, जिससे आईसीआईसीआई जैसे बैंक जूझ रहे हैं।

बैंकों के पास फिलहाल बड़े अवसर हैं। उन्हें कोकून से बाहर निकल कर छोटे–छोटे लक्ष्यों पर काम करने के लिए पैदल सैनिक के तौर पर बाजार में प्रवेश करना होगा। अगर बैंक अपने कामकाज में बदलाव लाते हैं, तो एक बड़ा कैनवास उनके सामने होगा और अगर वे ठीक से काम करें तो फिर से पूंजी को जुटाना–पुनर्पूंजीकरण–कोई समस्या नहीं रह जाएगी।

– शिवाजी सरकार

लघु उद्योगों की बेतरतीब या असंगठित प्रकृति की वजह उनके साथ काम करना बड़े बैंकों को रास नहीं आता है, उन्हें यह बोझिल लगता है। बैंकों के इस रवैये ने एमएसएमई के लिए समस्या पैदा की है।

वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बैंकिंग सेक्टर को आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाने और सक्रिय करने के लिए कदम उठाएगी। 2007–08 के 'सब–प्राइम संकट', जब अमेरिका में आसानी से दिए गए बड़े हाउसिंग लोन के बाद डिफॉल्टरों की संख्या बढ़ती गई थी, के समय से ही, जब इससे भारत प्रभावित नहीं हुआ था, यूपीए सरकार ने उद्योगों को नहीं लुभाने की नीति अपना ली थी। उद्योगों ने बड़े–बड़े गैरजरूरी लोन लिए, और कई कारणों से लोन को लौटाने में असफल रहे, डिफॉल्टर साबित हुए। बैंकों का कहना है कि कमजोर कानून की वजह से वे अपना पैसा वापस नहीं ले पाते हैं। हालांकि, बैंकिंग और दिवालिया कानूनों को मजबूत किया गया है। फिर भी, 12 साल से चली आ रही समस्या का हल इतने भर से नहीं हो सकता है। लोन की राशि की उगाही अपने आप में बेहद महंगी प्रक्रिया है। इस बीच, सेबी ने नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप के 2 बिलियन डॉलर के कथित धोखाधड़ी के बारे में देर से सूचना देने की वजह से पंजाब नेशनल बैंक को फटकार लगाई है। कई निजी बैंक हैं जो संकट के दौर से गुजर रहे हैं। यह धारणा ध्वस्त हो चुकी है कि निजी बैंक बेहतर हैं।

बैंकिंग सिस्टम को विकास के सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन, जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि अगर बचत न्यून स्तर पर रहता है, लोन की वापसी नहीं होती है और बैंक आंतरिक कमजोरी से जूझने लगते हैं, (नीरव मोदी और विजय माल्या के मामलों से भी यही बात जाहिर होती है) तो बैंकों का आर्थिक चक्र सेहतमंद नहीं रह सकता है।

दूसरा पहलू यह है कि बैंकों ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग को नजरअंदाज किया है। लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन हैं। सकल घरेलू उत्पाद में लघु उद्योग की भागीदारी 30.7 फीसदी की है। औपचारिक क्रेडिट के अभाव की वजह से कुल बैंक क्रेडिट में लघु उद्योग की साझेदारी सिर्फ 16 प्रतिशत की है। फ्री प्रेस मनी कंट्रोल के एक अध्ययन के मुताबिक लघु उद्योग का 78 फीसदी खुद पर निर्भर करता है, जबकि उसका 22 फीसदी हिस्सा स्थानीय ऋणदाताओं, संस्थाओं और सरकार पर निर्भर करता है। इसमें सरकारी सहायता का योगदान सिर्फ 7 फीसदी का ही है।

माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) यानी सूक्ष्म–लघु–मझोले उद्योग फिलहाल 2000 करोड़ के क्रेडिट की कमी का सामना कर रहे हैं। बड़े बैंक अभी भी विपरीत परिस्थितियों के दौरान लघु उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। छोटे उद्यमी ऊंची दर पर लोन लेते हैं और उसी दिन उसे वापस करने की कोशिश करते हैं। छोटे खुदरा व्यापारियों, वेंडरों और किसानों के साथ ऐसी ही स्थिति होती है। छोटे उद्यमी पैसा लेते हैं और जल्दी उसे वापस कर देते हैं। यहां जोखिम की गुंजाइश नगण्य होती है।

दरअसल, लघु उद्योगों की बेतरतीब या असंगठित प्रकृति की वजह उनके साथ काम करना बड़े बैंकों को रास नहीं आता है, उन्हें यह बोझिल लगता है। बैंकों के इस रवैये ने एमएसएमई के लिए समस्या पैदा की है। दरअसल, बैंकों ने लघु उद्योग के तौर पर एक भरोसेमंद ग्राहक बनाने का मौका गंवा दिया है। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई को सबसे सक्षम और लाभकारी क्षेत्र माना जाता है।

दरअसल, इससे यह भी जाहिर होता है कि भारतीय बैंकों में प्रयोगधर्मिता नहीं के बराबर है। बैंकिंग सिस्टम के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि बैंक लघु उद्योगों के साथ बड़ी भागीदारी निभाएं। उन्हें अपने तौर–तरीकों को असंगठित क्षेत्र के अनुकूल बनाना होगा। बैंकों के नियमों और रवैये में सुधार की जरूरत है। वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था एक ऐसे मिथ में तब्दील हो गई है, जो अनेक औपचारिकताओं में उलझी हुई है, लेकिन जिसका कामकाज बेहद लचर है।

बरसों से बैंकिंग सिस्टम ने नए रास्तों की ओर नहीं देखा है। देश में पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की भागीदारी 55 फीसदी और निजी सेक्टर के बैंकों की भागीदारी 19 फीसदी है। जबकि, नॉन–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का हिस्सा 17 फीसदी, सहकारी बैंकों की साझेदारी 7 प्रतिशत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भागीदारी

2 फीसदी है। इससे साफ है कि क्रेडिट ग्रोथ सरकारी और निजी बैंकों से दूर जा रहा हैं।

पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को लेकर वित्त मंत्रालय में हाल ही में हुई चर्चा से भी संकेत मिलता है कि सरकार बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन (पुनर्पूंजीकरण) को करदाताओं के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। जनधन योजना के बावजूद बड़ी संख्या में कम आय वर्ग के समूह आज भी औपचारिक बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं। उन्हें औपचारिक ऋण व्यवस्था में शामिल किए जाने की जरूरत है।

आरबीआई भी मानता है कि अलग उद्देश्य और फोकस के साथ छोटे वित्तीय बैंक का नियामक अनुपालन भी अलग होना चाहिए। आर्थिक समावेशीकरण के लिए बैंकिंग की परिधि से बाहर रह गए ग्राहकों और लघु उद्योगों को ध्यान में रखकर छोटे वित्तीय बैंकों को काम करने की अनुमति देना ही उद्देश्य होना चाहिए। छोटे वित्तीय बैंकों की अपनी समस्याएं हैं। वे बड़े बैंकों से उधार लेकर अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। इससे उनका कामकाज महंगा हो जाता है, जिससे स्वाभाविक तौर पर उनका ब्याज दर ज्यादा होता है।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की राय रही है कि लोन मार्केट में प्रतियोगिता उत्पन्न करने की जरूरत है, क्योंकि यह माना जाता है कि प्रतियोगिता से ग्राहकों को लाभ मिलता है। इससे न सिर्फ लोन पर ब्याज दर में कमी आएगी, बल्कि अच्छी आर्थिक स्थिति में होने की वजह से ऐसे उद्यमी देश के विकास में भी अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि बड़े बैंक कैसे कम आय वाले लोगों और कम पूंजी वाले उद्योगों के साथ अपनी भूमिका निभा पाते हैं। आरबीआई का मानना है कि छोटे वित्तीय बैंक उन ग्राहकों की स्वीकार्यता तय करेंगे जिन्हें अभी तक क्रेडिट के योग्य नहीं माना जाता है। यह बड़े बैंकों के लिए एक सलाह भी है।

अगर वे इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उनके सामने एक बड़ा बाजार होगा. ऐसा करने के पहले उन्हें छोटे बाजार के अनुकूल होना होगा और दैनिक आधार पर लोन देने और उसकी अदायगी स्वीकारने में तेजी बरतनी होगी। पीएसबी या प्राइवेट बैंकों की विशिष्टता ऐसी नहीं है। इसे प्रायः चिटफंड किस्म की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जिनकी स्वीकार्यता न्यूनतम स्तर पर है।

वास्तव में, बैंकों के पास फिलहाल बड़े अवसर हैं। उन्हें कोकून से बाहर निकल कर छोटे–छोटे लक्ष्यों पर काम करने के लिए पैदल सैनिक के तौर पर बाजार में प्रवेश करना होगा। अगर बैंक अपने कामकाज में बदलाव लाते हैं, तो एक बड़ा कैनवास उनके सामने होगा और अगर वे ठीक से काम करें तो फिर से पूंजी को जुटाना–पुनर्पूंजीकरण– कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

आपातकालः

अविस्मरणीय रात्रि 9 सितंबर 1975 (कलकत्ता)

– सरोज मित्र –

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक विलक्ष्ण महामानव तो थे ही, उनकी भविष्य दृष्टि इतनी पुख्ता और सटीक थी कि कई बार उन्हें लोग ज्योतिषी समझ बैठते थे। आपातकाल के दौरान ही देश के तमाम विपक्षी नेता जब इंदिरा गांधी के तानाशाह होने की आशंका जता रहे थे, तब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्पष्ट भविष्यवाणी कर दी थी कि इंदिरा गांधी एक कमजोर नेता है और 17 महीने के भीतर आपातकाल खत्म हो जायेगा।

25 जून 1975 को जब स्व. इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की, सभी विपक्षी नेताओं की धर–पकड़ शुरू हो गयी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के पहले ही सरकार की गलत नीतियों से लड़ने के लिए लोक संघर्ष समिति का गठन किया गया था। संघर्ष समिति का दायित्व श्री नानाजी देशमुख को दिया गया था। नानाजी देशमुख की लिखी एक चिट्ठी मुझे उड़ीसा के कटक में मिली। उस चिट्ठी को मेरे पास संघ के प्रचारक अनन्त लाल सोनी जी कलकत्ता से लेकर आये थे। कुछ दिन के अंदर ही नानाजी भी देश की राजधानी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिए गये। नानाजी की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल खड़ा हुआ के अब संघर्ष समिति का दायित्व कौन संभालेगा। दत्तोपंत जी ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से इस्तीफा देकर यह दायित्व खुद संभाला। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने दत्तोपंत जी को पकड़ने के लिए 50 हजार का ईनाम भी घोषित किया था।

इस बीच मुझे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से मिलने की सूचना प्राप्त हुई। 9 सितंबर 1975 को हम खुद व अन्य लोग यहां–वहां से कलकत्ता पहुंचे। करीब 20 लोग एक कमरे में बैठकर दत्तोपंत जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। रात में करीबन 9 बजे ठेंगड़ी जी पहुंचे। उन्होंने अपना हुलिया बदल रखा था, उन्हें पहचानना मुश्किल था। उस रात की बैठक में देश के राजनीतिक हालात के साथ–साथ बड़े पैमाने पर चल रही गिरफ्तारियों पर भी चर्चा हुई। सभी राजनीतिक दल के लोग भयभीत थे, जो थोड़े–बहुत नेतागण गिरफ्तारी से बच बचाकर बाहर थे, वे इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं थे। सभी का मानना था कि आपातकाल जारी रहेगा और इसके जुल्मों–सितम सहने ही पड़ेंगे। लेकिन दत्तोपंत जी ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने विश्वासपूर्वक और स्पष्ट शब्दों में बताया कि ठीक सत्रह महीने बाद देश से इमरजेंसी हट जायेगी। मैंने खुद आश्चर्य से पूछा कि क्या किसी ज्योतिषी ने ऐसा बताया है? उस पर दत्तेपंत जी का जवाब था कि इंदिरा गांधी एक तानाशाह जैसा काम करना चाहती है, पर उनमें तानाशाह बनने की आवश्यक योग्यता नहीं है। सच्चाई यह है कि आज खुद न तो इंदिरा गांधी किसी पर भरोसा करती है और ना ही अन्य कोई इंदिरा पर विश्वास करता है।

दत्तोपंत जी की इस बेबक टिप्पणी के बाद बैठक का माहौल बिल्कुल हल्का हो गया। शुरू में जो चिंता की रेखाएं लोगों के चेहरों पर थी वह बिल्कुल जाती रही। उस बैठक में एक व्यक्ति ने यह भी सूचना दी कि जार्ज फर्नांडीस ने आंदोलन के लिए डायनामाइट का इंतजाम कर लिया है, लेकिन उन्हें आदमी नहीं मिल रहा है।

बैठक में बेलुर मठ के भरत महाराज और पश्चिम बंगाल वामपंती नेता ज्योति बसु की रात के अंधेरे में हुई भेंट पर भी बातचीत हुई। भरत महाराज को इंदिरा गांधी हर साल ओढ़ने के लिए शाल भेजती थी, उनके प्रति अपनी सदिच्छा रखती थी, पर मठ के करीब रहने वाले एक कार्यकर्ता रोबिन चक्रवर्ती, जो कि स्टेट बैंक में नौकरी करते थे, ने बताया कि भरत जी महाराज इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगने से खफा थे। भरत जी महाराज 110 वर्ष से ज्यादा दिनों तक जीवित रहे थे। वर्ष 1972 के फरवरी महीने उनसे मिलने गुरूजी भी बेलूर गये थे।

दत्तोपंत जी की बैठक के बाद मैं कटक वापिस आ गया। कुछ दिन बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वर्ष 1977 के मार्च महीने में मुझे जेल से रिहा किया गया। मैंने हिसाब लगाकर देखा कि कुल 17 महीने बाद ही इमरजेंसी हट गयी। दत्तोपंत जी की बात हू–ब–हू सत्य साबित हुई। ❑❑

चीन-भारत-अमेरिकाः बनते बिगड़ते समीकरण

वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक वार्ता के निष्कर्ष सार्वजनिक तौर पर साझा नहीं किये गये। लेकिन पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग द्वारा चीन की गुप–चुप यात्रा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मंत्रणा से विश्व को बदलते वैश्विक समीकरणों की पदचाप सुनाई दे रही है।

प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात में डोकलाम विवाद के काले बादलों को छितराने का काम किया है। जिसमें 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनायें आमने–सामने आ गई थी तथा यह मुद्दा कभी सैन्य तो कभी राजनीतिक स्तर पर गरमा जाता था। बात चाहे 'सीपैक' की हो, मालद्वीव व नेपाल से चीन के संबंध, एन.एस.जी. की सदस्यता, आंतकवादी मौलाना मसूद अजहर का मामला या फिर दक्षिण चीन सागर में चीनी दादागिरी, ये कुछ ऐसे मसले है जिनसे चीन–भारत के बीच अविश्वास की खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।

चीन की इस पहल के पीछे स्पष्ट रूप से अमेरिकी–चीनी व्यापार–युद्व का घटनाक्रम है। अमेरिका एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जिससे वह अपना व्यापार घाटा कम कर सके तथा इसका सीधा असर चीन के निर्यात पर होना तय है। चीन अब विश्व की फैक्ट्री बन चुका है। इस माल को 'वन बेल्ट–वन रोड' के माध्यम से विश्व के कोने–कोने तक पहुंचाने के लिए वह सड़कों, रेलवे, बदंरगाहों पर आसीमित धन खर्च कर रहा है। जाहिर है कि चीन का बहुत कुछ दाव पर लगा है। अगर इसी प्रकार की सरंक्षणवादी प्रतिक्रिया विश्व के अन्य देशों से भी आने लगे तो चीनी अर्थव्यवस्था व रोजगार गंभीर संकट में फंस सकता है। चीन को दूसरा खतरा भारत के सहयोग से हिन्द–प्रंशात क्षेत्र में बन रहे नये 'शक्ति पुंज' का भी था, जिसमें अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत की सैन्य शक्तियां मिलकर युद्वाभ्यास के द्वारा एक संदेश भेजने में कामयाब रही, जिनसे चीनी ड्रेगन की फुफकार को शांत करने का काम किया है।

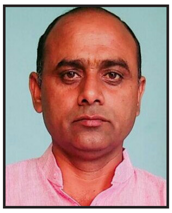

सरंक्षणवादी प्रतिक्रिया विश्व के अन्य देशों से भी आने लगे तो चीनी अर्थव्यवस्था व रोजगार गंभीर संकट में फंस सकता है।

– **दुलीचन्द रमन**

मोदी जिनपिंग वार्ता के नतीजें भी आने शुरू हो गये है। चीन ने 1 मई से भारत की 28 दवाईयों से आयात शुल्क हटा लिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत–चीन के बीच बढ़ते व्यापार घाटे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था तथा इसे संतुलित करने के लिए भारतीय चीनी, दवाईयां तथा नान–बासमती चावल के निर्यात की मंशा प्रकट की थी। इस दौरान क्षेत्रिय सहयोग के लिए BCIM (बंगलादेश–चीन–भारत–म्यांमार) नामक ग्रुप के क्रियान्वयन पर भी वार्ता कुछ आगे बढ़ी है। भारत और चीन संयुक्त रूप से अफगानिस्तान में कुछ परियोजनाओं में सहयोग करने हेतु तैयार हुए है। अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते से हटने के बाद की परिस्थितियों पर भी दोनों शीर्ष नेताओं ने आगामी कार्यनीति तैयार की है।

अमेरिका अभी तक उत्तर कोरिया पर कोई कार्यवाही इसलिए नहीं कर सका क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे चीन खड़ा है। चीनी नेताओं से मिलकर किम जोंग के बदले बोलों के पीछे भी चीनी मिठास है। इस समय चीन भी विश्व में अपनी चौधराहरट चाहता है तथा ऐसा कोई भी संदेश नहीं देना चाहता ताकि इसकी कोई भी नकारात्मक छवि बने। आर्थिक प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया की कमर भी टूट चुकी है। वैसे उसने अपने आणविक व मिसाईल लक्ष्य हासिल कर लिए है। अब वह इन प्रतिबंधों को शिथिल करवाने के लिए छटपटा रहा है।

किम जोंग ने दक्षिण कोरिया से भी अपने संबंधों में सुधार की कोशिश तेज कर दी है। यह चीन को भी पता है कि अगर उत्तर कोरिया में किसी प्रकार का विद्रोह या संघर्ष हुआ तो चीन में कोरियाई शरणार्थियों की बाढ़ सी आ जायेगी जो चीन कभी नहीं चाहेगा। इसलिए वह भी बातचीत के पक्ष में है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किम जोंग के साथ 12 जून को होने वाली सिगांपुर वार्ता से कदम खींचने के बाद विश्वस्तर पर अमेरिका की आलोचना हो रही थी। इस बीच उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के समक्ष अपने परमाणु परीक्षण स्थल भी नष्ट कर दिये और उसे रूस का भी सहयोग मिल गया। अपनी बाजी को पलटते देख अमेरिका को भी वार्ता की पुनः सहमति देनी पड़ी।

भारत के लिए अमेरिका की तरफ से भी सुहानी हवायें नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने निर्वाचित होते ही वीजा संबंधी अवरोध उत्पन्न करने शुरू कर दिये थे बाद के दिनों में अपनी संरक्षणवादी कदमों से भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की राह में कई अड़चने खड़ी की गई। अमेरिका अब विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा संबंधी भंडारण तथा समर्थन मूल्य के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने भारत को उन देशों की श्रेणी में रखा है जो अपनी मुद्रा में हेर–फेर करते है जिससे डालर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होने से अमेरिकी निर्यात घटता है। जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ जाता है। इस प्रकार के कदमों से परस्पर विश्वास में कमी आयी है।

भारत अपने अतंर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। विदेश नीति का तकाजा है कि हमेशा कुछ पत्ते हाथ में भी रहने चाहिए ताकि विपरित परिस्थितियों में भी बाजी को अपने हक में किया जा सके।

अमेरिका व रूस सीरिया के मुद्दे पर परस्पर भिड़ रहे है। रूस असद की सरकार को समर्थन कर रहा है तो अमेरिका कुर्द विद्रोहियों के पक्ष में है। अमेरिकी प्रशासन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये है। जाहिर है इसका भारत की रक्षा तैयारियों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि भारत रूस से अपने सैन्य साजो–सामान का 60 प्रतिशत खरीदता है। अमेरिका के इन प्रतिबंधों की छाया वर्तमान में वायु रक्षा रोधी एस–400 प्रणाली की खरीद पर भी पड़ने की संभावना है।

अब ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता त्याग दिया तथा ईरान पर पहले से भी अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये। अमेरिकी कानून में ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध का प्रावधान है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को ज्यादातर ईरान ही पूरा करता है तथा भारत और ईरान संयुक्त रूप से चाहबार बंदरगाह के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। जाहिर है कि चाहबार परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे वह अफगानिस्तान तथा मध्य–पूर्व के देशों में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ कर सकता है। भारत और ईरान यूरो मुद्रा में लेन–देन करते है तथा इस बार यूरोपियन यूनियन भी प्रतिबंधों के पक्ष में नही है। इस मुद्दे पर भी अमेरिका के साथ भारत के हितों का टकराव तय है।

भारत के जो कदम अमेरिका की तरफ बढ़ रहे है वे फिलहाल ठहर से गये है। क्योंकि विश्वस्तर पर अमेरिकी प्रशासन के प्रति अविश्वसनीयता बढ़ी है। इसके अलावा चीन व रूस भी भारत को अमेरिकी पाले में जाने से रोकने के भरसक प्रयास कर रहे है। भारत अपने अतंर्राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फूंक–फूंक कर कदम रख रहा है। विदेश नीति का तकाजा है कि हमेशा कुछ पत्ते हाथ में भी रहने चाहिए ताकि विपरित परिस्थितियों में भी बाजी को अपने हक में किया जा सके। ❑❑

वित्तीय घाटे पर कारगर कदमों की जरूरत

सरकार की आय से अधिक खर्च को करने के लिए सरकार बाजार से ऋण उठाती है, इस ऋण को वित्तीय घाटा कहा जाता है। विदेशी निवेशक वित्तीय घाटे को अच्छा नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि यदि सरकार अपनी आय से अधिक खर्च कर रही है तो यह गैर जिम्मेदाराना नीतियां दर्शाती हैं और आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा सकता है। इसलिए जहां वित्तीय घाटा ज्यादा होता है वहां विदेशी निवेशक आने में हिचकिचाते हैं। घरेलू उद्यमियों के लिए भी वित्तीय घाटा अच्छा नहीं होता। जैसे ऊपर बताया गया है कि आय से अधिक खर्च को कोषित करने को सरकार बाजार से ऋण उठाती है। सरकार द्वारा ऋण उठाने से बाजार में ब्याज दरों में वृद्धि होती है, जैसे मंडी में आलू की मांग ज्यादा हो जाये तो आलू के दाम बढ़ जाते हैं। ब्याज दर बढ़ने से उद्यमी के लिए ऋण पर ब्याज अधिक देना पड़ता है और उसके लिए व्यापार करना कठिन हो जाता है। इसलिए सरकार को वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखना चाहिए।

लेकिन इस समय सरकार के वित्तीय घाटे पर कई प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं। GST के लागू होने से सरकार की आय में जो सामान्य वृद्धि हो रही थी उसमें ब्रेक सा लग गया है। जुलाई 2017 में GST लागू होने के समय माह में 93 हजार करोड़ रुपए GST की वसूली हुई थी। इसके बाद इसमें कुछ गिरावट आई और गतमाह अप्रैल 2018 में यह 100 हजार करोड़ की सीमा को पार कर गया है। लगभग एक वर्ष में GST में केवल सात करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि निराशाजनक ही नहीं बल्कि संकट का भी द्योतक है। निराशाजनक इसलिए कि सामान्य चाल में ही GST की वसूली में वृद्धि होनी चाहिए, जिस प्रकार बच्चे कि लंबाई सहज ही बढ़ती रहती है। GST का सदप्रभाव तब अधिक तेजी से देखने को मिलता जब GST की वसूली में वृद्धि होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो यह बताता है कि GST लागू होने के बाद अब अर्थव्यवस्था सिर्फ अपनी पुरानी चाल पर आई है जैसे

सरकार द्वारा ऋण उठाने से बाजार में ब्याज दरों में वद्धि होती है, जैसे मंडी में आलू की मांग ज्यादा हो जाये तो आलू के दाम बढ़ जाते हैं। ब्याज दर बढ़ने से उद्यमी के लिए ऋण पर ब्याज अधिक देना पड़ता है और उसके लिए व्यापार करना कठिन हो जाता है। इसलिए सरकार को वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखना चाहिए।

डॉ. भरत झुनझुनवाला

व्यक्ति बीमार होने के बाद पुनः अपनी पुरानी परिस्थिति में आ जाये। अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है। GST की मुख्य समस्या यह है कि कागजी कार्य में वृद्धि हुई है। बड़े उद्यमियों को इससे कोई संकट नहीं है, चूँकि उनके पास कम्पूटर ऑपरेटरों और चार्टर अकाउंटेंटों की फौज होती है जो इन कागजी पेंचों से सुलट लेते हैं। छोटे उद्यमियों के लिए यह एक बहुत भारी समस्या है। ,

हाल ही में गाजियाबाद में एक बाइक और कार के एक क्लच तथा डिक्की की केबल बनाने वाली कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पूर्व में उनकी फैक्ट्री के द्वारा बनाई गयी केबल ओरिजनल कार एवं बाइक निर्माताओं तथा बाजार के व्यापारियों दोनों को बेचे जाते थे। GST लागू होने के बाद बाजार के व्यापारियों की मांग शून्य प्राय हो गयी है। उनका धंधा पूर्वस्तर पर वापस आ गया है लेकिन अब मांग केवल ओरिजनल कार एवं बाइक मेनुफेक्चरों से ही बन रही है। अर्थ हुआ कि GST के कारण छोटे उद्यम ठप्प हो गए हैं। अर्थव्यवस्था में केबल का कुल उत्पादन पूर्ववत है। लेकिन छोटे व्यापारी और छोटे उद्यम रोजगार ज्यादा बनाते हैं। बाजार छोटे उद्यमियों से खिसककर बड़े उद्यमियों के हाथ में चले जाने का परिणाम है कि छोटे उद्यमियों द्वारा रोजगार कम बनाये जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जमीनी मांग सिकुड़ रही है। जमीनी मांग सिकुड़ने से माल की बिक्री कम हो रही है और GST में सामान्य वृद्धि ही हो रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि GST के शिकंजे से छोटे व्यापारियों को मुक्त करे और उनके लिए उद्योग करना सरल करे। छोटे उद्यमों के बंद होने से अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम होगी और अर्थव्यवस्था की गति नहीं बढ़ेगी।

दूसरी समस्या तेल के बढते दामों की है। विश्व बाजार में कच्चे इंधन तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सरकार पर दबाव पड़ रहा है कि तेल पर वसूली की जा रही एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे। यदि सरकार ऐसा करती है तो एक्साइज ड्यूटी कि वसूली कम होगी और उसके अनुसार सरकार कि आय कम होगी और वित्तीय घाटा और बढ़ेगा। इस समस्या का उपाय यह है कि हमें तेल की खपत को ही कम करना होगा। अपने देश में उर्जा के स्रोत सिमित हैं। एल्मुनियम, स्टील, कार अथवा पंखे जैसी वस्तुओं के उत्पादन में बिजली की तथा उर्जा की खपत ज्यादा होती है जबकि सॉफ्टवेयर, पर्यटन और कॉल सेंटर आदि में उर्जा की खपत कम होती है। चूँकि हमारे देश में उर्जा की उपलब्धि कम है इसलिए हमारे लिए सेवा क्षेत्र ज्यादा उपयुक्त है और मैनुफेक्चरिंग हमारे लिए संकट का सौदा है। अतः तेल के बढते दुष्प्रभाव से बचने के लिए सरकार को मेनुफेक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के स्थान पर सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहिए। तब तेल के दाम की वृद्धि का उतना दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा।

सरकार को चाहिए कि जीएसटी के शिकंजे से छोटे व्यापारियों को मुक्त करे और उनके लिए उद्योग करना सरल करे। छोटे उद्यमों के बंद होने से अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम होगी और अर्थव्यवस्था की गति नहीं बढ़ेगी।

तीसरा विषय वित्तीय घाटे की गुणवत्ता का है। इतना सही है कि निवेशक वित्तीय घाटे को अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन यह भी सही है कि विशेष प्रकार का वित्तीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी होता है। वर्ष 2014—16 में हमारा वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का चार प्रतिशत था और उस समय हमारी ग्रोथ रेट 7.6 प्रतिशत थी। इसकी तुलना करें तो वर्ष 2017—18 में हमारा वित्तीय घाटा घटकर 3.2 प्रतिशत हो गयी है। लेकिन वित्तीय घाटा घटने से ग्रोथ रेट बढने के स्थान पर ग्रोथ रेट में भी गिरावट आई और वह 7.6 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत हो गयी। अर्थ हुआ कि वित्तीय घाटे पर नियंत्रण मूल रूप से अच्छा होता है लेकिन किंही विशेष परिस्थियों में वित्तीय घाटे के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को लाभ भी हो सकता है जैसे वर्ष 2014—16 में हो रहा था। इस रहस्य का खुलासा यह है कि यदि सरकार द्वारा लिए गए ऋण से सरकारी खपत जैसे सरकरी कर्मचारियों को ऊँचे वेतन देना अथवा अधिकारी एवं मंत्रियों के विदेश यात्राएं करना जैसे खर्चों पर किया जाये तो वित्तीय घाटा अर्थव्यवस्था के उपर बोझ बन जाता है। यदि ऋण में ली गयी रकम का हाईवे और बिजली सप्लाई करने में निवेश किया जाये तो वित्तीय घाटा लाभप्रद हो जाता है उसी प्रकार जैसे उद्यमी द्वारा ऋण लेकरके उद्योग लगाना सफल होता है।

जैसा ऊपर बताया गया है कि इस समय वित्तीय घाटा कम होने के साथ—साथ हमारी ग्रोथ रेट घट रही है। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार द्वारा लिए गए ऋण का निवेश ना होकर उसकी खपत की जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करे। वर्तमान समय गम्भीर है। अगर सरकार वित्तीय घाटे को ठीक करने के लिए इन कदमों को नहीं उठाती तो आने वाला समय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। ❑❑

एक नए और बड़े खतरे की ओर मानवता

युद्ध में रोबोट का प्रवेश विनाशक

भविष्य के युद्धों की तैयारी में महाशक्तियां जिन तकनीकों की ओर सबसे अधिक ध्यान दे रहीं हैं, वह हैं रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की तकनीक। एक ओर ऐसे रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जिनका ज्यादातर नियंत्रण मनुष्यों के हाथ में रहेगा। उन्हें तरह–तरह के कार्य निभाने के लिए कहा जाएगा, इन कार्यों को असरदार ढंग से करने के लिए उन्हें कुछ अपनी निर्धारण क्षमता दी जाएगी, पर उनका अंतिम नियंत्रण बुनियादी रूप से किसी मनुष्य सैनिक अधिकारी के हाथ में ही रहेगा। पर दूसरी ओर कुछ हद तक ऐसे स्वचालित हथियारों के बारे में भी सोचा जा रहा है जिन्हें एक बार बटन दबाकर अपने विनाशक कार्य के लिए छोड़ दिया जाएगा और वे काफी हद तक ध्वंसलीला करने के लिए अपने तौर–तरीकों का उपयोग अपने ढ़ंग से कर सकेंगे।

हालांकि कुछ स्वचालित हथियारों का उपयोग आधुनिक युद्धों में आरंभ होने के बावजूद अभी तक सही अर्थों में रोबोट का उपयोग किसी युद्ध में हुआ नहीं है। रोबोट के प्रवेश से उत्पन्न सभी तरह की सैन्य संभावनाओं को बिलकुल सटीक ढ़ंग से बना पाना संभव नहीं है, पर इतना निश्चित है कि इससे बहुत गंभीर खतरे जुड़े हैं। विशेषकर जो बहुत हद तक 'स्वतंत्र' कार्यवाही करने वाले रोबोट हैं, जिन पर एक बार बटन दबाने के बाद मनुष्य सैनिक अधिकारी का नियंत्रण बहुत कम रह जाता है, वह रोबोट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे रोबोट को अपने विनाशक कार्य से रोकना बहुत कठिन हो सकता है और वह निर्धारित विनाश से अधिक विनाश भी कर सकता है। उसके स्वचालित सिस्टम में कोई गलती हो जाए तो यह विनाश सभी हदों को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किसी गलती (या विपक्ष द्वारा की गई तकनीकी सैबोटेज) के कारण रोबोट अपने ही पक्ष के सैनिकों या लोगों के विरुद्ध भी सक्रिय हो सकते हैं। इस तरह के रोबोट के वास्तविक उपयोग के खतरों

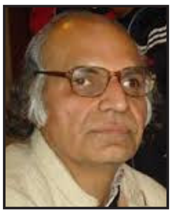

रोबोट के युद्ध में उपयोग से जुड़े खतरे उस समय और बढ़ जाते हैं जब हम यह ध्यान में रखें कि बहुत से रोबोट को बड़ी संख्या में एक साथ छोड़ने की संभावना पर भी विचार हो रहा है। छोटे साइज के रोबोट को बड़ी संख्या में भेजने की संभावना भी तलाशी जा रही है, जो 'दुश्मन' को तलाश कर मारने में सक्षम हों।

– भारत डोगरा

के अलावा इस पर हो रहे प्रयोगों और टेस्ट मात्र से भी गंभीर खतरे जुड़े हैं। रोबोट के युद्ध में उपयोग से जुड़े खतरे उस समय और बढ़ जाते हैं जब हम यह ध्यान में रखें कि बहुत से रोबोट को बड़ी संख्या में एक साथ छोड़ने की संभावना पर भी विचार हो रहा है। छोटे साईज के रोबोट को बड़ी संख्या में भेजने की संभावना भी तलाशी जा रही है, जो 'दुश्मन' को तलाश कर मारने में सक्षम हों। हालांकि इस तकनीक में आरंभिक व्यय बहुत खर्चीला हो सकता है, पर महाशक्तियां विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन इस निवेश के लिए तैयार हैं। इन महाशक्तियों के कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की तैयारी में रोबोट और एआई में बड़े निवेश के बिना आधिपत्य की स्थिति में वे आ नहीं सकेंगे और उन्हें दूसरे के आधिपत्य के आगे झुकना होगा। इसलिए इस क्षेत्र में पीछे रहने को वे तैयार नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी माना जा रहा है कि एक बार मूल तकनीक विकसित होने के बाद रोबोट की मुख्य भूमिका वाले युद्ध का खर्च कुछ संदर्भों में कम भी हो सकता है। छोटे रोबोट बड़ी संख्या में भेजना सस्ता पड़ सकता है। कुछ विशेष खतरनाक परिस्थितियों में रोबोट को आगे किया जा सकता है। जब महाशक्तियां इस क्षेत्र में अपार निवेश करेंगी तो एक–दो दशक में रोबोट की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है और इसके साथ ही मानवता के लिए नए बड़े खतरों का प्रवेश हो सकता है। इसलिए स्टीफेन हॉकिंग जैसे कई बड़े वैज्ञानिकों ने इस बारे में चेतावनी देते हुए युद्ध में उपयोग होने वाले रोबोट पर रोक लगाने की मांग की। विश्व स्तर पर 'जानलेवा रोबोट को रोकने का अभियान' (कैम्पेन टू स्टॉप किलर रोबोट) आरंभ हो चुका है जिसे अनेक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का समर्थन भी प्राप्त है।

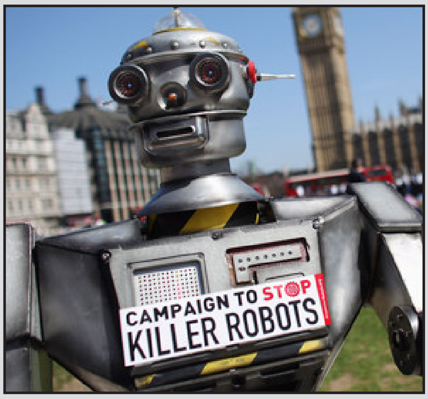

विश्व स्तर पर 'जानलेवा रोबोट को रोकने का अभियान' (कैम्पेन टू स्टॉप किलर रोबोट) आरंभ हो चुका है जिसे अनेक वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का समर्थन भी प्राप्त है।

इस अभियान ने एक कानूनी तौर पर मान्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते की मांग की है जिससे रोबोट के सैन्य उपयोग को रोका जा सके। विश्व के अनेक जाने–माने वैज्ञानिकों ने इस विषय पर एक संयुक्त पत्र भी जारी किया है।

इस तरह की मांग को लगभग सभी अमनपसंद लोग स्वीकार करते हैं, पर सवाल यह है कि इसकी स्वीकृति कैसे होगी और इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। एक बड़ी समस्या यह है कि इस तकनीक में सबसे अधिक निवेश करने वाली तीन महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन एक–दूसरे की जाहिर या छिपी तैयारी को देखते हुए अपनी तैयारी को और तेज कर सकती हैं। तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और वीटो का अधिकार रखते हैं। इसलिए उन्हें कैसे रोका जाए यह बड़ी समस्या है।

दूसरी बाधा यह है कि रोबोट और एआई की तकनीकों के सिविल और सैन्य उपयोग में नजदीकी आपसी संबंध हैं। जो तकनीक सिविल क्षेत्र में कार्य कर रही है उसका कुछ बदलाव के साथ सैन्य उपयोग भी हो सकता है। इस तरह इन तकनीकों के सैन्य उपयोग को रोकना और भी कठिन हो जाता है। रोबोटिक्स के सैन्य उपयोग पर खर्च निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2000 में यह लगभग 1 अरब डालर था तो इस समय यह लगभग 10 अरब डालर है यानी 18 वर्ष में यह 10 गुना बढ़ गया है। व्यवहारिक कठिनाईयां कुछ भी हों रोबोट और एआई के सैन्य उपयोग पर कुछ नियंत्रण तो लगाना ही होगा। किस तरह की तैयारियां इस क्षेत्र में चल रही हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से और निशस्त्रीकरण समझौते के माध्यम से इसमें कुछ पारदर्शिता तो लानी ही होगी। अन्यथा तो यह नया और बहुत गंभीर खतरा शीघ्र ही हाथ से बाहर निकल जाएगा। इस तरह के खतरों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इन खतरों के प्रति जनसाधारण को सचेत करना होना और उनमें ऐसे मुद्दों पर सक्रियता लाना बहुत जरूरी है।

हम यह नहीं मान सकते हैं कि चंद जानकार व्यक्तियों के छोटे से अभियान से रोबोट हथियारों पर रोक लग जाएगी या इस तरह के अन्य खतरों को रोका जा सकेगा। ऐसे अभियानों की सफलता के लिए जन समर्थन की बड़ी ताकत होनी चाहिए। इस तरह का व्यापक जन समर्थन ऐसे बहुत से सार्थक अमन–शांति के मुद्दों के लिए जुटाने में कठिनाई आ रही है, जबकि बहुत से व्यर्थ के मुद्दों पर भीड़ एकत्रित की जा रही है। इसलिए विभिन्न देशों में अमन–शांति और निशस्त्रीकरण के अभियानों और आंदोलनों को बहुत गंभीरता से विमर्श करना होगा कि उनकी आवाज विश्व स्तर पर अधिक मजबूत कैसे बन सकती है। ❑❑

केवल केंद्र को कोसने से नहीं,
राज्यों को भी उठाने होंगे कारगर कदम

मौसम की गर्मी से भी ज्यादा तपन पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत से हो रही है। लगातार एक पखवाड़े से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में रोज ही इजाफा हो रही है। राजनीतिक मुद्दे के साथ–साथ अब यह विषय जनता के आक्रोश का भी कारण बन रहा है। लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं, जगह–जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर आंदोलित से हो रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं कि विरोधी दल सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को और हवा देन में लगे हैं।

इसके पहले कि पेट्रोलियम पदार्थों के राजनीतिक मुद्दे बनने की वजह तलाशी जाए, एक नजर इसके गणित पर भी डालते हैं। हम सभी जानते हैं कि देश अपनी जरूरत का 70 प्रतिशत से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता है। इसलिए प्राथमिक तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की उपलब्धता एवं उसकी कीमत पर निर्भर करता है। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 75 डालर से 80 डालर प्रति बैरल चल रही है सरकार का दावा है कि तेल की बढ़ती कीमतों के कारण उसकी लागत भी बढ़ रही है और इस कारण घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं हम यह भी जानते हैं कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद कीमत स्तर को घरेलू बाजार से जोड़ रखा है यानी हर दिन के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद कीमत स्तर के आधार पर किया जाता है जिस दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होती है उस दिन घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो जाते हैं लेकिन जिस दिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है उस दिन घरेलू बाजार में भी उसी अनुपात में पेट्रोल–डीजल के दाम भी बढ़ जाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर

यदि राज्य सरकारें केंद्र के इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो देश में एक समान कर का निर्धारण पेट्रोलियम पदार्थों पर भी हो सकता है फिर कीमतों में अच्छी खासी कमी लाई जा सकती है लेकिन यह दूर की कौड़ी मालूम होती है

– **विक्रम उपाध्याय**

पेट्रोल और डीजल के दाम ऊंचे स्तर पर बना रखे है और सरकार उससे भरपूर लाभ कमा रही है और जनता त्राहि–त्राहि कर रही है।

यह तथ्य पूरी तरह सही नहीं है यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से घरेलू पेट्रोल पंप तक कीमत निर्धारण की पद्धति एवं उसके फार्मूले पर विचार करें तो पाएंगे कि जितना केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है इतना राज्य सरकारें भी हैं आखिर पेट्रोल एवं डीजल की कीमत का निर्धारण कैसे होता है उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 73 डॉलर प्रति बैरल है इस आधार पर देखें तो भारत को प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग रू. 30 चुकानी पड़ती है, जब यह कच्चा तेल भारत पहुंचता है तब इस पर एंट्री टैक्स लगता है, रिफाइनरी प्रोसेसिंग शुल्क लगता है और यही कीमत रू.40 प्रति लीटर हो जाती है अब केंद्र सरकार पेट्रोल के उत्पादन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं सड़क विकास शुल्क के रूप में लगभग रू. 20 प्रति लीटर वसूलती है और डीजल पर 15.50 रूपये। यानि केंद्र सरकार के शुल्क के बाद पेट्रोल की लागत प्रति लीटर 60 रुपसे से अधिक हो जाती है और डीजल की लागत लगभग रू. 57। इसके बाद राज्य सरकारें अपना टैक्स लगाती हैं विभिन्न राज्यों में इस पर सेल टैक्स, यानी वैट अलग–अलग दर से लगाये जा रहे हैं।

अब सवाल यह है कि लागत से लगभग दोगुने दाम पर पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री क्यों हो रही है। केंद्र सरकार या राज्य सरकारें डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में कमी पर एकमत क्यों नहीं हो रही है, क्या केवल यह एक राजनीतिक मुद्दा भर है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत या फिर सचमुच जनता को राहत प्रदान करने का कोई सार्थक प्रयास हो सकता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराने पर लगी है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सभी राजनीतिक दल यह दबाव बनाने में लगे हैं कि मोदी सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटा दे, जिससे पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में कमी आ जाए। केंद्र सरकार ने ऐसा किया भी 2018–19 के बजट में, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर लगे उत्पाद शुल्क को लगभग 2 प्रतिशत कम किए गए, लेकिन सड़क निर्माण 'सेस' बढ़ा दिए गए। अब केंद्र सरकार यही दलील दे रही है कि यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सड़क निर्माण सेस में कमी कर जनता को तत्काल राहत पहुंचाने की कोई कोशिश की जाती है तो इसका असर विकास परियोजनाओं पर बहुत बड़ा हो सकता है।

मोदी सरकार को कोसने के बजाय अलग–अलग राज्यों में शासन कर रही राजनीतिक पार्टियों को भी जनता के हित में कुछ फैसले करने पड़ेंगे या फिर भाग्य के भरोसे बैठे रहना पड़ेगा कि कब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी आए और हम देशवासियों को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिले।

देश में इस समय 25 किलोमीटर प्रति दिन हाईवे का निर्माण हो रहा है। तमाम सोशल स्कीम्स इसी बूते लांच की जा रही हैं यदि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी के लिए शुल्कों में भारी कमी की जाती है तो ढांचागत उद्योग एवं जल कन्या की योजनाओं के लिए धन की भारी कमी हो सकती है यही दलील राज्य सरकारों की भी है 27 प्रतिशत तक वेट वसूलने वाली राज्य सरकारें यह कहती है कि यदि उन्होंने अपना वेट कम किया तो उनका आय का सीधा स्रोत और संकुचित हो जाएगा और वे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं दे पाएंगी। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अभी और बढ़ सकती हैं प्रति बैरल 100 डालर तक कीमत उछल सकती है

एक स्थाई समाधान का तरीका है यदि राज्य सरकारें केंद्र के इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो देश में एक समान कर का निर्धारण पेट्रोलियम पदार्थों पर भी हो सकता है फिर कीमतों में अच्छी खासी कमी लाई जा सकती है लेकिन यह दूर की कौड़ी मालूम होती है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों पर लगे वैट से उनकी आमदनी सीधे उनकी झोली में पहुंचती है। एक बार जीएसटी के दायरे में आने के बाद कर वसूली कम हो जाएगी और फिर दर निर्धारण में भी सहमति बनाना आसान नहीं होगी। फिलहाल यह मुद्दा काफी गर्म है जनता को तत्काल राहत देने की आवश्यकता है लेकिन राजनीतिक रूप से यह विषय केंद्र और राज्य दोनों के अधीन है इसलिए कोई रास्ता आपसी सहमति के आधार पर ही बन सकता है मोदी सरकार को कोसने के बजाय अलग–अलग राज्यों में शासन कर रही राजनीतिक पार्टियों को भी जनता के हित में कुछ फैसले करने पड़ेंगे या फिर भाग्य के भरोसे बैठे रहना पड़ेगा कि कब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी आए और हम देशवासियों को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिले। ❑❑

शौचालय निर्माण व स्वच्छता मिशन का आर्थिक विकास में योगदान

देश में स्वास्थ्य का अधिकार जनता का प्राथमिक अधिकार समझा जाता है परंतु भारत में स्वास्थ्य की तरफ पर्याप्त ध्यान न देने से तथा स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण देश में प्रतिदिन ही हजारों लोग अपनी जान अस्पतालों में चिकित्सा के दौरान गंवा देते है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत का स्थान 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर है जो बांग्लादेश, चीन, भूटान व श्रीलंका से भी पीछे है।

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस ओर ध्यान दिया गया तथा अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी। 2 अक्टूबर 2019 तक समस्त भारत से खुले में शौच व्यवस्था का समूल उन्मूलन करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। शौचालय निर्माण तथा स्वच्छता से देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से योगदान दिखाई देने लगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केंद्र व राज्य सरकारों ने रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में भारी निवेश किया गया है। शौचालयों का निर्माण भी तेज गति से किया गया है। वर्ष 2014–15 से अब तक 7,196 करोड शौचालय बनाने का दावा किया गया है। भारत में अब तक 3,60,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। लोगों के औसत मासिक पारिवारिक चिकित्सा बिल जो लगभग 120 रू. प्रति महीने आता था वह अब कम हो गया है। परिवार के बीमार सदस्यों को चिकित्सक के पास ले जाने में व्यय होने वाले समय में भी कमी आयी है। अब वे लोग उत्पादक कार्य की ओर अधिक ध्यान देने लगे है। खुले में शौच मुक्त गांवों के परिवारों को मिलने वाले आर्थिक लाभ को ज्ञात करने के लिए यूनिसेफ ने 12 राज्यों के 18,000 लोगों के बीच एक अध्ययन कराया था, उससे ज्ञात हुआ कि खुले में शौच से मुक्त होने पर प्रति परिवार के चिकित्सा व्यय में लगभग 4,200/– रुपये प्रति परिवार वार्षिक बचत हुई है। समय की बचत हुई सो अलग तथा लोगों की जान

यू.एन. चार्टर के अनुसार साफ सफाई में बेहतरी से प्रत्येक परिवार को काम करने, अध्ययन करने, बच्चों की देखभाल करने आदि के लिए 1,000 अतिरिक्त घंटे मिलते है अर्थात प्रति परिवार अब घंटे के काम के 125 दिन अतिरिक्त मिलते है।

– **डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल**

घरों में बनने वाले शौचालय सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जलापूर्ति के साथ साथ तरल व ठोस कचरे के प्रबंधन की सुविधा तैयार करना एक जटिल कार्य है।

भी बची है जिससे प्रति परिवार 19,000 रूपये की संपत्ति में बढोत्तरी हुई है। सफाई के कारण प्रति परिवार दस वर्ष की अवधि में निवेश से 4–3 गुना अधिक प्राप्ति होगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार सफाई पर होने वाले व्यय पर वैश्विक आर्थिक प्रतिफल प्रति डॉलर निवेश पर करीब 5–5 डॉलर हैं। यू.एन. चार्टर के अनुसार साफ सफाई में बेहतरी से प्रत्येक परिवार को काम करने, अध्ययन करने, बच्चों की देखभाल करने आदि के लिए 1,000 अतिरिक्त घंटे मिलते है अर्थात प्रति परिवार अब घंटे के काम के 125 दिन अतिरिक्त मिलते है। खुले में शौच मुक्त भारत को प्रतिवर्ष काम के 1,000 करोड अतिरिक्त दिन मिल सकते है। विश्व बैंक के अनुसार अपर्याप्त सफाई के कारण प्रतिवर्ष लगभग 26,000 करोड डॉलर की हानि होती है। जिससे विभिन्न देशों को जीडीपी के 0–5 प्रतिशत से 7–2 प्रतिशत तक की हानि होती हैं। विश्व बैंक से ऋण लेने के बाद सरकार ने अनुमान लगया कि गांवों में शौचालय बनाने के लिए 2,200 करोड डॉलर अर्थात 1496 अरब रुपये की आवश्यकता होगी। वर्ष 2017–18 तक सरकार ने केवल 3,700 करोड व्यय किये, जबकि 2018–19 के लिए 15,400 करोड रुपये का आंबटन हो चुका है।

वर्ष 2006 में भारत को स्वास्थ्य, पानी, व अन्य सेवाओं में कमी आदि के कारण 5,380 करोड रुपये की हानि हुई जो देश की कुल जीडीपी का 6–4 प्रतिशत थी। भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में करीब 38 प्रतिशत शारीरिक व संज्ञानात्मक रुप से कमजोर है। ऐसी स्थिति में देश में साफ सफाई व स्वच्छता एक मुख्य मुददा देश के राजनीतिक दलों के लिये हो सकता है। इसका प्रभाव देश में भविष्य की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, अर्थात जनसंख्या का बडा हिस्सा अपनी उत्पादकता का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पायेगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई का स्तर सुधर रहा है तथा अक्टूबर 2014 के 39 प्रतिशत की तुलना में अब यह 84 प्रतिशत तक पंहुच गया है।

देश में भी साफ सफाई उद्योग 3,200 करोड डॉलर का है जो 2021 तक दुगना हो जायेगा जिससे रोजगार के भी नये–नये अवसर सामने आ सकते है। महिलाओं को 168 करोड काम के घंटे की बचत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौच से बनी खाद से प्याज की बेहतर उपज होने में मदद मिली है। क्योंकि यह खाद रासायनिक व अन्य जैविक खाद की तुलना में बेहतर समझी जा रही है। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दो पिट वाले शौचालयों को प्रोत्साहित किया है जो स्वतः खाद तैयारी करने में मदद करते है। इससे खेती में सुधार हो सकेगा तथा एक नये उद्योग का जन्म भी हो सकेगा। रासायनिक खाद के प्रयोग में भी बचत हो सकेगी। भारत सराकर के इस सफाई अभियान से देश में स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक वातावरण बनता जा रहा है जिसका सीधा–सीधा प्रभाव देश की उत्पादकता पर पड़ेगा। इस मिशन के अंतर्गत अब सफाई राष्ट्रीय विकास के मुददे में प्रमुखता ग्रहण करती जा रही है। आर्थिक उन्नति में सहयोग प्राप्त होता है। बैंक, खाद व रोजगार का विकास भी हो रहा है। इस क्षेत्र में निवेश के रास्ते भी खुलते जा रहे है। 'पहला सुख निरोगी काया व दूसरा सुख घर में माया' वाली कहावत चरितार्थ होती जा रही है कि साफ सफाई एक उद्योग बनता जा रहा है व लोगों के रोजगार के अवसर खुल रहे है व सफाई रखने से लोग स्वस्थ्य रहेंगे तो देश की उत्पादकता भी अधिक हो सकेगी। भारत जैसी वर्ष व्यवस्था के सामाजिक ढांचे में उन लोगों के दृष्टिकोण को बदलने की भी आवश्यकता है जो मानव मल के निस्तारण को अभी भी निचली जातियों से जोड़कर देखते है। घरों में बनने वाले शौचालय सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जलापूर्ति के साथ साथ तरल व ठोस कचरे के प्रबंधन की सुविधा तैयार करना एक जटिल कार्य है। जिसके लिए सरकार को अधिक प्रभावी कदम उठाने होगें, क्योंकि भारत में अधिकांश लोग सफाई से संबंधित अपने अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को न तो समझ पाते है और न ही निभा पाते है। तैयार हुए शौचालय काम करते रहें यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लोग उनका ठीक से रखरखाव नहीं करते है तथा शौचालयों में निरंतर जलापूर्ति की व्यवस्था भी नहीं बनी रहती है। ❑❑

लेखक सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फर नगर (उ.प्र.), में वाणिज्य विषय में एसोसियेट प्रोफेसर के पद व प्राचार्य पद पर अवकाश प्राप्त है व तथा स्वतंत्र टिप्पणीकार है।

समग्र शिक्षा नीति की ओर-निर्णायक कदम

(भाग–2)

उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 से 12वीं) विद्यार्थी के कैरियर निर्माण का समय माना जाता है। शिक्षा के इस महत्वपूर्ण स्तर पर भारत में मैकॉले शिक्षा की बाबू बनाने की मानसिकता से आज तक उबर नहीं पाये हैं, वहीं स्वतंत्र भारत में वामपंथी विचारधारा के प्रभाव में दिये गये पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों ने उच्च माध्यमिक शिक्षा में घुन का काम किया है। इस प्रभाव के अंतर्गत NCERT की पुस्तकें विद्यार्थी के विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिये मार्गदर्शिका नहीं होती, केवल परीक्षाओं में प्रश्नपत्र निर्धारण के लिये अंक प्रदान करने की रूपरेखा तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। हाल ही में पाठ्यपुस्तकों की अनिवार्य उपलब्धता को लेकर कई निजी प्रकाशकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों की ब्लेक मार्केटिंग कर करोड़ों का लाभ कमाया गया और NCERT की पाठ्यपुस्तकों को भी व्यवसाय का माध्यम बना लिया गया।

विद्यार्थी के इस कैरियर पॉईंट पर अनेक वर्षों से निजी व्यवसायियों द्वारा शिक्षा का व्यापारीकरण अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। पाठ्यपुस्तकों की अनुपयोगिता के कारण अनेक प्रकार की महंगी गाइड बुक्स निकाल दी गई हैं। इन गाइड बुक्स के विस्तृत और जटिल पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिये अनेक कोचिंग संस्थानों ने मुख्य शिक्षण संस्थानों की जगह ले ली है। इनमें दिये जाने वाले महंगे शिक्षण, कड़ी जांच प्रक्रिया तथा चयनित विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या बताकर विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाता है। यह स्पर्धा अभिभावकों का आर्थिक बोझ और विद्यार्थियों का तनाव बढ़ाने का कारण बन गई है।

उच्च माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थी को कैरियर निर्धारण के दबाव में आकर शिक्षा के व्यवसायिक मकड़जाल में उलझने से बचाने के लिये पाठ्यक्रम को विस्तत एवं व्यवस्थित करना शिक्षा नीति का सबसे अधिक निर्णायक कदम होगा।

– डॉ. रेखा भट्ट

उच्च माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थी को कैरियर निर्धारण के दबाव में आकर शिक्षा के व्यवसायिक मकड़जाल में उलझने से बचाने के लिये पाठ्यक्रम को विस्तृत एवं व्यवस्थित करना शिक्षा नीति का सबसे अधिक निर्णायक कदम होगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार विस्तारित किये गये पाठ्यक्रम का कक्षा 9वीं से 12वीं तक समान रूप से वितरण करने से सारा बोझ अंतिम वर्ष (12वीं कक्षा) में नहीं बढ़ेगा। समाज विज्ञान में, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र ये चारों विषय शामिल किये जाते हैं। सभी विषय अलग–अलग विशेषज्ञ एवं निष्णात् अध्यापकों द्वारा पूरे विस्तार से पढ़ाये जाते हैं तथा मूल्यांकन भी अलग–अलग किया जाता है किन्तु विद्यार्थी द्वारा सभी विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रमों की एक ही समय में परीक्षा देना विद्यार्थी की क्षमता तथा विषयों की सार्थकता दोनों के साथ न्याय संगत नहीं होता है। यही स्थिति विज्ञान में समाहित तीनों विषयों रसायन विज्ञान, भौतिकी व जीव विज्ञान के साथ है।

विद्यालय में गाइडबुक्स का प्रयोग न हो इसके लिये NCERT की पुस्तकों में पाठ्यक्रमों को विस्तारित किये जाने की जरूरत है। NCERT द्वारा ही विषय की 2–3 संदर्भ पुस्तकें निर्धारित की जाएं। टेस्ट पेपर, वर्कशीट आदि अभ्यास सामग्री भी NCERT द्वारा लघु पुस्तिकाओं के रूप में उपलब्ध करवायी जायें। इस प्रकार विद्यालय में ही विद्यार्थी को

कैरियर से संबंधी मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसका लाभ गरीब एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेगा, जो महंगे कोचिंग सेंटर और गाइड बुक्स के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित रह जाते हैं। विद्यार्थी के समय का दोहन नहीं होगा और उसे पढ़ने के लिये स्वाध्याय द्वारा विषय की समझ विकसित करने का समय मिलेगा।

परीक्षा के अच्छे परिणामों व सर्वाधिक विद्यार्थियों के चयन के लिये विद्यार्थी की अपेक्षा शिक्षकों को जवाबदेह बनाया जाना इस व्यापारीकरण को रोकने का दूसरा निर्णायक कदम होगा। इसके लिये प्रशासन द्वारा शिक्षकों को तय पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों/संदर्भ पुस्तकों का अनुसरण करने, टेस्ट सीरीज़ द्वारा मूल्यांकन करवाने और विद्यार्थी की स्थिति से समय–2 पर अभिभावकों को तथा प्रबंधन को अवगत करवाने जैसे मापदंड तय किये जाएं। अपने विषय के निष्णात् व विशेषज्ञ शिक्षकों का ऑनलाईन स्क्रीनिंग व साक्षात्कार के मानक पूर्ण करने पर ही चयन किया जाये। अच्छे परिणाम और सर्वाधिक चयनित छात्रों की संख्या देने वाले शिक्षकों को विशेष पैकेज देकर आमंत्रित किया जाये तथा अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर स्थायी नियुक्ति दी जाये।

उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, कला, मानविकी जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार की व्यापक संभावनाएं है। IIT, IIM और AIMS जैसे संस्थानों की वर्षों से दी जा रही रोजगारपरक शिक्षा के कारण इनके लिये प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। नियमित कोर्स (BA, B.Com., B.Sc.) में प्रवेश के लिये 99 प्रतिशत कट ऑफ प्राप्त करने के लिये होने वाली प्रतिस्पर्धा कम करने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता परीक्षाएं NTA (National Testing Agency) द्वारा शुरू करने जैसे उपाय सभी विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने चाहिये।

देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में योग्यता निर्धारक विद्यार्थियों का सबसे अधिक योगदान होता है अतः उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी के कैरियर की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा उपलब्ध करवाने से गरीब छात्रों को भी रोजगारपरक शिक्षा सरकारी संस्थानों में सुलभ हो सकेगी, कोचिंग सेंटर व गाइडबुक्स का व्यापार बंद होगा। आर्थिक सुरक्षा मिलने व सही दिशा में कैरियर संबंधी मार्गदर्शन मिलने से विद्यार्थी का मानसिक तनाव समाप्त होगा।

उच्च शिक्षा द्वारा विद्यार्थी उच्च स्तरीय आजीविका के साधनों को प्राप्त करने का प्रयास करता है ताकि वह अधिक समृद्ध और क्षमतावान बन सके, किंतु विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी शिक्षित बेरोजगार के रूप में निकलता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में स्तरीय साधन सुविधायें और उच्च स्तरीय शिक्षण अपेक्षित होता है जो गिने चुने IIT, IIM, AIMS जैसे संस्थानों को छोड़कर कहीं नहीं मिलता और हम विश्व स्तरीय PISA रैंकिंग में स्थान पाने की उम्मीद करते हैं। रैंकिंग पद्धति चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या भारतीय मापदण्डों के अनुसार हो सभी में शिक्षा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। भारतीय मानकों के अनुसार NAAC (National Assessment of Accredition Council) द्वारा करायी जाने वाली ग्रेडिंग से भी शिक्षण तथा शोध की गुणवत्ता का मापन नहीं किया जाता, अतः NAAC द्वारा की गई ग्रेडिंग विद्यार्थी को संस्थान की वास्तविक स्थिति के आकलन से दूर रखती है।

कैंसर, एड्स, कुपोषित बच्चों एवं चिकित्सा जैसे मानवता के हित से जुड़े शोध कार्यों के लिये उद्योगपतियों, दानदाताओं द्वारा बहुत बड़ी राशि दान में दी जाती है।

विदेशी शिक्षण संस्थानों को अपनी पहचान स्थापित करने और सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिये पारदर्शिता रखनी होती है। ये संस्थायें डिजीटल पोर्टल के माध्यम से शिक्षण संस्थान में साधन–सुविधाएं व तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत करती हैं। शिक्षण कार्य के लिये उच्च स्तरीय शिक्षकों जैसे नोबल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों, प्रख्यात लेखकों, विचारकों, आदि का विवरण तथा शिक्षकों के उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों के परिणामों से विद्यार्थियों को मिले प्लेसमेंट, सामाजिक कार्यों में, कानून में, राजनीतिक क्षेत्र में, कला साहित्य के क्षेत्र में, सर्वोच्च सेवायें देने वाले छात्रों की सूची के रूप में, विवरण प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार बड़े वेतनमान पाने वाले शिक्षक के रूप में शिक्षक का महत्व नहीं बनता, बल्कि बौद्धिक स्तर पर वह अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान का सर्वोत्तम विद्यार्थी को देकर पहचान बनाता है। ये शिक्षण संस्थान अपने शोध कार्यों की सामाजिक आवश्यकताओं, व्यवसायिक व तकनीकी आदि क्षेत्रों में किये गये एवं आगे किये जाने वाले मौलिक कार्यों व नवाचारों का भी उल्लेख करते हैं। निवेश व खर्च का स्पष्ट लेखा–जोखा दिया जाता है। कैंसर, एड्स, कुपोषित बच्चों एवं चिकित्सा जैसे मानवता के हित से जुड़े शोध कार्यों के लिये उद्योगपतियों, दानदाताओं द्वारा बहुत बड़ी राशि दान में दी जाती है।

भारत में शिक्षण संस्थानों में डिजीटल उपयोग केवल शुल्क जमा कराने, प्रवेश प्रक्रिया, विद्यार्थियों की उपस्थिति देने, परीक्षाओं के प्रवेश के लिये एवं मूल्यांकन में प्राप्तांकों को प्रकाशित करने के लिये किया जाता है। इसी तरह कितने शोध कार्य किये जा

रहे हैं, उनकी संख्या के आधार पर NAAC में ग्रेडिंग कर दी जाती है किंतु शोध की गुणवत्ता के मापक तय नहीं किये जाते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिय HRD द्वारा केवल 20 विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिये चयनित किया गया है, इससे पूरे देश के कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

उच्च शिक्षा को स्तरीय एवं सार्थक बनाने के लिये उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च स्तरीय साधन सुविधाएं व तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं। शिक्षण कार्य को सुचारू बनाने के लिये शिक्षकों की नियमित नियुक्तियां करनी होती है। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अग्रिम शोधों के लिये तथा तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शोध व अनुसंधान पर भारी निवेश करने की जरूरत होती है। शोध कार्यों में सहायक हो सकें, नयी जानकारियां प्रदान की जा सके, इसके लिये सेमीनार व कॉन्फ्रेंस आयोजित करने होते हैं। अन्तर्विषयक भागीदारों से कॉन्फ्रेंस में उपस्थिति संख्या बढ़ा देना, जरनल छपवा देना, मॉडल तथा पेपर प्रस्तुत करना जैसे कार्य केवल कार्यक्रम की औपचारिकता पूर्ण करते हैं। इन सब कार्यों में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। GDP का 6 प्रतिशत तय मानक है किंतु शासन द्वारा 1 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है।

बुनियादी साधन सुविधायें, शिक्षकों की भर्ती व मौलिक शोधकार्यों में किये जाने वाले खर्च की राशि मूलभूत निवेश है, जिसे वहन करना सरकार का दायित्व है किन्तु सरकार यह अपेक्षा निजी क्षेत्रों से रखती है। परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में निजीकरण और कारपोरेट्स का दखल बढ़ गया है तथा उच्च शिक्षा व्यापार करने व लाभ कमाने का माध्यम बन गई है। निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिये शुल्क जमा कराने की क्षमता महत्वपूर्ण है विद्यार्थी की योग्यता नहीं। इनमें महंगी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी विद्यार्थी को अपेक्षित योग्यता प्राप्त नहीं होती। प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिये निजी संस्थानों में साधन सुविधाओं की चकाचौंध और रोजगार गारंटी के लुभावने विज्ञापनों के आगे, सरकारी संस्थानों में पढ़ने का कारण सम्पन्नता और योग्यता का अभाव माना जाने लगा है।

उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा पर्याप्त निवेश करके शिक्षण संस्थानों के स्तर में सुधार किया जा सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा शिक्षण कार्य को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। शोध कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लाया जा सकता है तथा शोध पत्रों के Citation Index (CI Value) को बढ़ाया जा सकता है। वृहद शोध कार्यों को स्थानीय व बड़े उद्योगों से जोड़कर उद्यमियों से फण्डिंग प्राप्त की जा सकती है। शिक्षण संस्थान व शिक्षक की प्रतिष्ठा से अनेक दानदाता शोध खर्च उठाने के लिये प्रेरित होते हैं।

सुनियोजित शिक्षण प्रणाली ही शिक्षण कार्य को उत्कृष्ट बनाती है। शिक्षण प्रणाली में निर्धारित की गई पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम संपूर्ण शिक्षण कार्य को दिशा देने का कार्य करते हैं। अतः वैश्विक पाठ्यक्रम पर केन्द्रित किया जाये और शिक्षण कार्य का क्रियान्वयन संभव हो तो उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के परिणाम स्पष्ट दिखाई देंगे।

उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रमों की विविधता से, शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने के अनेक विकल्प उपलब्ध कराती है और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगार शिक्षित नहीं रहता। विज्ञान, तकनीकी व प्रबंधन के अतिरिक्त मानविकी, कला और वाणिज्य के ऐसे अनगिनत क्षेत्र है जिनमें इन विषयों के निपुण कर्मियों की आवश्यकता होती है किन्तु उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण के अभाव में रोजगार प्रदाता इन्हें लेने से हिचकते हैं और अन्य क्षेत्रों के अभ्यार्थियों की भर्ती कर उन्हें अपने कार्य के अनुसार प्रशिक्षण दे देते हैं। स्व–वित्त पोषित योजना (Self Finance Scheme) द्वारा विविध विषयों के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने से सरकार की शिक्षा प्रदान करने की जवाबदेही खत्म नहीं होती क्योंकि निजी संस्थान शिक्षणकार्य व परिणामों की उत्कृष्टता के लिये प्रतिबद्ध नहीं होते।

उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रमों की विविधता से, शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने के अनेक विकल्प उपलब्ध कराती है।

नियमित पाठ्यक्रम (BA, BCom, BSc) में भी व्यवहारिक कार्य के प्रशिक्षण हेतु इंजीनियरिंग आदि कॉलेजों की तरह प्रथम दो वर्षों में इंटर्नशिप और वर्कशॉप की अनिवार्यता रखी जाये इससे उन्हें भविष्य के लिये अपने रोजगार का क्षेत्र या स्वयं का कार्यक्षेत्र निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

स्नातकोत्तर (M.A., M.Com., M.Sc.) विषयों में विद्यार्थी निष्णात हो तथा विषय के विशेषज्ञ बन सकें, इसके

लिये विषय विशेष का कोर्सवर्क करने व लघु शोध प्रस्तुत करने की अनिवार्यता रखी जाये।

उच्च शिक्षा के स्तर पर विषय का विस्तार होता है तथा गहराई से विषय को समझने की जरूरत होती है। इसके लिये शिक्षकों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विदेशी संस्थानों में ई–शिक्षा द्वारा तथा तकनीकी साधन सुविधाओं का उपयोग शिक्षण कार्य को नियंत्रित करता है, विद्यार्थी की उपस्थिति को निश्चित करता है। विद्यार्थी शिक्षक के तय समय से विषय संबंधी आवश्यक निर्देश तथा कक्षा–कक्षीय मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात् असाइन्मेन्ट प्राप्त करना, प्रस्तुतीकरण करना, आवश्यक सुधार करना और मूल्यांकन द्वारा परिणाम जानने के लिये विद्यार्थी को ऑनलाईन प्लेटफॉर्म दिया जाता है।

CBCS (Choice Based Credit System) द्वारा मूल्यांकन के अंतर्गत कक्षा में अनुपस्थित रहने और परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को आगे शिक्षण प्राप्त करते रहने से नहीं रोका जाता किंतु, निर्धारित अंक, आगे नियमितता रखने, परीक्षा देने, निर्धारित समय में कार्य में सुधार करने व अन्य योग्यताएं पूरी करने पर प्रदान किये जाते हैं। ई–शिक्षा द्वारा शिक्षक शोध कार्य के साथ शिक्षण कार्य के दायित्वों को पूरा कर सकेंगे। CAS (Career Advancement Scheme) के तहत API Score (Academic Performance Indicator) में मूल रूप से शिक्षण कार्य, परिणाम तथा विद्यार्थी की उपलब्धियां ही सूचक के रूप में कार्य करते हैं।

आधुनिक उच्च शिक्षण संस्थानों को तकनीकी रूप से समृद्ध कर ई–कक्षा व ई–लेक्चर को मूलभूत साधन सुविधाओं के रूप में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। विद्यार्थी कम समय में अधिक शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और विस्तृत पाठ्यक्रमों को पूरा किया जा सकेगा। ई–लाइब्रेरी में सभी पुस्तकें प्राप्त कर विद्यार्थी शिक्षण काल का पूरा लाभ उठा सकेंगे।

शोध कार्यों के विकास के लिये शोध व अनुसंधान को शिक्षण कार्य से अलग श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिये। वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शोध व अनुसंधान शालायें निर्मित करवायी जायें। आवश्यक अन्वेषणों का मुख्य आधारभूत ढांचा तैयार किया जाये। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपनी विशेषज्ञता के अनुसार कक्षाओं में नियमित व्याख्यानों के लिये आमंत्रित किया जाये। उनके शोध के स्तर और उपयोगिता के अनुरूप उन्हें बड़े आर्थिक लाभ देने से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शोध कार्यों के साथ शिक्षण कार्य मजबूरी की जगह ऐच्छिक हो जायेगा और शोधकार्यों में संलग्नता बढ़ेगी तथा उत्कृष्ट शोध परिणाम आयेंगे। वहीं शिक्षण कार्यों में पदोन्नति का आधार शोध कार्य को नहीं रखे जाने से शिक्षण निर्बाध रूप से किया जा सकेगा तथा शैक्षणिक कार्यों के सूचक के रूप में केवल पास आउट की संख्या के स्थान पर विद्यार्थियों की योग्यता प्रकट करने वाले मापदण्ड, अधिकतम प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सामाजिक कार्यों में संलग्नता, राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक व कलात्मक क्षेत्रों में अपनी योग्यता प्रगट करने वाले छात्रों की संख्या, विषय संबंधी विशिष्ट लेखन कार्यों का उल्लेख भी सूचक के रूप में समाविष्ट किया जा सकता है।

नई शिक्षा नीति द्वारा देश से मैकॉले शिक्षण पद्धति को समूल नष्ट करने के लिये अंकों पर आधारित मूल्यांकन व रटने पर आधारित परीक्षा पद्धति को समाप्त करना, शिक्षा क्षेत्र में निर्णायक कदम होगा।

उच्च शिक्षा में अच्छे प्रबंधन के लिये IES (Indian Education System) कैडर प्रारंभ करने का प्रस्ताव शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। उच्च शिक्षा में व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने में कुलपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुलपति शिक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र से नहीं हो तथा बगैर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के निर्धारित योग्यता व पात्रता पूरी करने पर ही कुलपति पद पर नियुक्ति प्रदान की जाये। VC द्वारा शिक्षण, प्रबंधन तथा शिक्षा व्यवस्था पर निष्पक्ष नियंत्रण रखे जाने से उच्च शिक्षा परिसरों में राजनीति हावी नहीं हो सकेगी।

नई शिक्षा नीति द्वारा देश से मैकॉले शिक्षण पद्धति को समूल नष्ट करने के लिये अंकों पर आधारित मूल्यांकन व रटने पर आधारित परीक्षा पद्धति को समाप्त करना, शिक्षा क्षेत्र में निर्णायक कदम होगा। आजादी के बाद वामपंथी विचारकों व लेखकों द्वारा तय किये गये पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, विद्यार्थी के कैरियर बनाने की संवेदनशील अवस्था में आत्मघाती सिद्ध हो रहे हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों को पूरी तरह बदलना शिक्षा विभाग का शिक्षानीति को समग्र बनाने की दिशा में ठोस कदम होगा। उच्च शिक्षा को ई–शिक्षा युक्त एवं शोधपरक बनाकर विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सकेगी तथा भारत में नालन्दा व तक्षशिला के समकक्ष शिक्षण संस्थानों का पुनर्स्थापन होगा। 2018 की समग्र शिक्षा नीति का, आने वाले अनेक वर्षों तक संपूर्ण शिक्षा जगत को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ❑❑

भारतीय परिवार व्यवस्थाः

भारतीय सामाजिक जीवन का मूल आधार

अथर्ववेदीय पृथ्वीसुक्त संसार की प्रथम रचना है, जिसमें प्रकृति और पृथ्वी के विषय में एक मां व उसके बच्चे के परिवार की कल्पना की गई है। उस समय 'एक सदविप्रा बहुधा वदन्ति, सर्वभूत हतो रताः।' एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसे महान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। परंतु आज संसार में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का परस्पर संघर्ष चल रहा है। केवल भौतिकवाद के आधार पर विश्व शान्ति की नींव किसी भी प्रकार से ठोस और दृढ़ नहीं हो सकती है।

परिवार व्यवस्था भारत में सामाजिक जीवन का मूल आधार है। मानव समाज में परिवार एक बुनियादी तथा सार्वभौमिक ईकाई है। यह सामाजिक जीवन की निरंतरता, एकता, विस्तार एवं विकास के लिए आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार पूरे भारतीय महाद्धीय में पाया जाता है, जिसमें एक साथ, एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग एकसाथ रहते हैं।

भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत प्राचीन काल से विद्यमान है। विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, जातियों में संयुक्त परिवार में आपको एक दूसरे की योग्यता, अनुभव और सहयोग मिलता है। इसके साथ ही आर्थिक एवं भावनात्मक सहायता भी मिलती है, जिससे आप अपनी अनेक समस्याओं को सरलता से और सही ढंग से सुलझा पाते है।

आज के बदलते सामाजिक परिदश्य में संयुक्त परिवार तेजी से टूटते और बिखरते जा रहे है तथा उनकी जगह एकल परिवार लेते जा रहे है।

– रेणु पुराणिक

आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य में संयुक्त परिवार तेजी से टूटते और बिखरते जा रहे है तथा उनकी जगह एकल परिवार लेते जा रहे है। संयुक्त परिवार में कुटुम्ब का पूर्व पुरूष–वंशज या रक्त संबंधी दो या तीन पीढ़ियों के लोग साथ–साथ एक ही घर में रहते है। संयुक्त परिवार का व्यक्ति पहले परिवार, फिर समाज और फिर राष्ट्र का निर्माण करता है। संयुक्त परिवार एक वट वृक्ष है, जिससे फल एवं छाया दोनों प्राप्त होते है। संयुक्त परिवार में घर का वयोवृद्ध व्यक्ति वह कार्य निवृत हो या न हो, वह परिवार का कर्त्ता–धर्ता या मुखिया माना जाता है। कहीं–कहीं इनको मालिक या स्वामी भी कहा जाता है। वह परंपरा के आधार पर परिवार में कार्य का विभाजन, उत्पादन, उपभोग आदि की व्यवस्था करता है, तथा परिवार के अन्य सदस्यों से संबंधित सामाजिक महत्व के कार्य और कार्य की पद्धति का निर्णय करता है। इसी प्रकार घर में वयोवृद्ध महिला परिवार की मुखिया होती है। वह परिवार के आन्तरिक कार्य–जैसे भोजन तैयार करना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की शिक्षा–दीक्षा–संस्कार की व्यवस्था करना, इसके अतिरिक्त अन्य घरेलू कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए परिवार की महिलाओं में कार्य का विभाजन करती है तथा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकतानुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करती है। इनके द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है। व्यक्ति की सामाजिक महत्ता परिवार से ही निर्धारित होती है।

विभिन्न प्रदेशों और भिन्न–भिन्न कालों में यद्यपि रचना, आकार, संबंध और कार्य की गति आदि अलग–अलग होने के कारण इनकी कार्य पद्धति और आचार–व्यवहार की दृष्टि से परिवार में अनेक भेद होते है। परंतु यह उपयुक्त कार्य सर्व–देशिक और सर्वकालिक है। उसमें

देश, काल, परिस्थिति और प्रथा आदि के भेद से एक या अनेक पीढ़ियों का होना संभव है। उसके सदस्य एक पारिवारिक अनुशासन व्यवस्था के अतिरिक्त पति–पत्नी और बच्चे, भाई–बहन, पितामह–मातामह, काका–काकी, सास–बहू, पौत्र–पौत्री, भतीजे–भतीजी जैसे संबंधों के साथ कत्तव्यों और अधिकारों से परस्पर आबद्ध रहते है। अन्य समाज सामूहिक रूप से सामाजिक संदर्भ में घनिष्टम संबंधों के साथ रहते है। मुसलमानों और इसाईयों में संपत्ति के नियम भिन्न–भिन्न है। फिर भी संयुक्त परिवार के आदर्श, परंपरायें और प्रतिष्ठा के कारण इनका संपत्ति के अधिकारों का व्यवहारिक पक्ष परिवार के संयुक्त रूप के अनुकूल ही होता है। संयुक्त परिवार भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त प्राचीन रीति–रिवाज, परंपरा और आदर्श में निहित है।

वंशावली, स्वामित्व और शासनाधिकार के विभिन्न रूपों के आधार पर परिवार के भिन्न–भिन्न रूप और प्रकार हो जाते है। पितृवंशीय परिवार में पत्नि पति के घर आकर रहती है। पितृवंशीय परिवार की संपत्ति का स्वामित्व पितृ स्थानीय परिवार का पुरूष होता है। भारत के अधिकांश भागों और समाजों में पितृवंशीय परिवार का पुरूष ही घर का शासक एवं स्वामी रहता है तथा घर के अहम निर्णय भी वही करता है। पितृसक्तात्मक व्यवस्था में पुरूष की प्रधानता पायी जाती है।

मातृवंशीय परिवार में महिला घर की मुखिया होती है। प्रायः संपत्ति का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ संतान होती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। भारत के कुछ भागों के समाजों में मातृवंशीय परंपरा रही है। भारत के मालाबार प्रदेश में नायर और तिया जाति के मातृसक्तात्मक मातृवंशीय परिवार रहते है। परिवार में पति अपने बच्चों के घर में एक अस्थाई आगंतुक होता है। उसके बच्चों की देखभाल उसका मामा करता है और बच्चे अपनी मां के परिवार का नाम ग्रहण करते है। परिवार पूर्णरूप से संयुक्त रहता है, जिसमें मां की पुत्री अथवा पौत्री की संतान रहती है। परिवार का मुखिया मातृवंशीय पुरूष रहता है।

असम राज्य के गारो और खासी जनजातियों में मातृवंशीय और मातृस्थानीय परिवार की प्रथा है। यहां पुत्रियां मां की चल व अचल संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है।

उत्तर–प्रदेश की जनजाति रवस नाम की है। ये जोनसम बाबर और आस–पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें बहुपति प्रथा है। परिवार में सब भाईयों की एक पत्नि और कभी–कभी एकाधिक सामूहिक पत्नियां रहती है। इसी प्रकार की बहुपति प्रथा लौहोल–स्पीती घाटी (हिमाचल प्रदेश) में भी प्रचलित है। निलगिरी की टोड़ा जनजाति में भी बहुपति प्रथा का प्रचलन है। यहां एक महिला के पतियों में भाईयों के अतिरिक्त अन्य पुरूष भी रह सकते है। परंतु वर्तमान में शिक्षा और सामाजिक उत्थान से इन पारंपरिक रीति–रिवाजों में सुधार के साथ–साथ समयानुसार परिवर्तन हो रहे है, अतएवं ये प्रथाएं अब विलुप्त होती जा रही है।

समाजों के परिवर्तनों के साथ, स्थान की भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों ने परिवार को प्रभावित किया है। सदस्यों की संख्या, विवाह का स्वरूप, सत्ता, निवास, वंशवाद के आधारों पर परिवार को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। परिवार सामाजिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। यह सभी समाजों की आधारभूत ईकाई है। परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है, जो व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्ति की योग्यता के महत्व पर निर्धारण करता है। सामान्यतः परिवार महिला–पुरूष के वैवाहिक संबंध से बनता है। बुनियादी रूप से परिवार बच्चे को जन्म देने की क्रिया को वैद्य बनाता है। परिवार से बच्चों को ऐसा पहला सामाजिक परिवेश मिलता है, जिससे वे अपना समाज और संस्कृति को समझना आरंभ करते है।

वर्तमान में परिवार की व्याख्या बदल गई है। संयुक्त परिवार के स्थान पर एक परिवार के चार परिवार बन गये हैं। पहले परिवार में कम से कम 8–10 सदस्य रहते थे, परंतु आज एकल परिवार में तीन या चार सदस्य की रहते हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण की वजह से होने वाले परिवर्तनों के कारण बढ़ी हुई दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महिलाएं भी अर्थार्जन के लिए घर से बाहर जाने लगी है। भारतीय जीवन शैली के तरीके बदलने से परिवार का विघटन तेजी से बढ़ रहा है। पाश्चात् जीवन शैली, पाश्चात विचार–व्यवहार, शिक्षा–दीक्षा तथा उनके आदर्शों ने भारतीय परिवारों को नष्ट कर दिया है। कारण, पाश्चात संस्कृति में परिवार होते ही नहीं है। परंतु आज विदेशों में परिवारों का महत्व बढ़ रहा है और वे लोग परिवार में रहना चाहते हैं।

परिवार समाज का घटक है। यदि परिवार में स्थिरता होगी तो समाज व्यवस्था दृढ़ होगी। समाज स्थिर होगा तो राष्ट्र सुदृढ़ होगा। परिवार में स्थायित्व महिला के कारण ही आता है। फिर वह गृहणी हो या चाहे अर्थार्जन करने वाली। वह समन्वयक की भूमिका निर्वाह करती है। पर्याय रूप में वह समाज व्यवस्था बनाये रखने में महान उत्तरदायित्व सहजता से निभाती है। महिलाओं को परिवार की धूरी माना जाता है। अतः वर्तमान समय में महिलायें ही सजगता एवं सहनशीलता से परिवार को अपनत्व और दृढ़ता प्रदान करती है तथा परिवार को बिखरने से बचाने का प्रयास करती है।

''महिला परिवार की नींव का पत्थर है,
महिला जगत की धूरी है,
महिला के बिना, सृष्टि अधूरी है।''❑❑

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें किसानों के साथ धोखा है।

कृषि फसलों को उत्पादन खर्च पर आधारित लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिये देशभर के किसान दशकों से संघर्ष करते आये है। वह संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन अचानक कुछ संगठनों व्दारा कुछ सालों से 'स्वामीनाथन आयोग (राष्ट्रीय किसान आयोग) लागू करो' की मांग शुरु हुई। आयोग की सिफारिशें जिसे स्वामीनाथन स्वयं सदाबहार क्रांति कहते है, प्रथम हरित क्रांति की तरह उत्पादन केंद्रित है। प्रथम हरित क्रांति का अनुभव यह बताता है कि उत्पादन वृद्धि के लिये केवल किसान ही नहीं पूरे समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी देने की सिफारिश भी एक धोखा है। इसलिये केवल जूमलों को घेरने के लिये यह मांग करना नासमझी है। खासकर तब जब पूरे देश में किसानों में आक्रोश है और वह अपने अधिकार के लिये रास्ते पर उतर रहा है।

देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने की चुनौती हमेशा रही है। देश में बढ़ती आबादी के खाद्यान्न पूर्ति के लिये डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। खेती की देशी विधियों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का रास्ता अपनाने के बजाय उन्होंने रासायनिक खेती, संकरीत बीज और यांत्रिक खेती को बढ़ावा दिया। क्रॉप पैटर्न बदलकर एक फसली पिक पद्धति को बढ़ावा देने से जैव विविधता, फसल विविधता पर बुरा असर पड़ा। देश के बड़े हिस्से में बहुफसली खेती, एक फसली खेती में परिवर्तित हो गयी। किसान को अपने खेती से पोषक आहार तत्व मिलना बंद हुआ तथा पूरे देश में रासायनिक खेती के कारण कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति घटी व भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आने लगी तथा जमीन, पानी और खाद्यान्न जहरीले हुये। थाली में जहर पहुंचा।

देश में बढ़ती आबादी के खाद्यान्न पूर्ति के लिये डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। खेती की देशी विधियों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का रास्ता अपनाने के बजाय उन्होंने रासायनिक खेती, संकरीत बीज और यांत्रिक खेती को बढ़ावा दिया।

– **विवेकानंद माथने**

हरित क्रांति से कृषि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन किसानों पर दुतरफा मार पड़ने से उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गयी। बीज, खाद, कीटनाशक, यंत्र का बढ़ता इस्तेमाल, सिंचाई, बिजली आदि के लिये किसान की बाजार पर निर्भरता बढ़ने से लागत खर्च बढ़ा। फसलों का उत्पादन बढ़ने से फसलों की कीमत कम हुई। परिणामस्वरुप लागत और आय का अंतर इस तरह कम हुआ कि खेती घाटे का सौदा बनी और किसान कर्ज के जाल में फंसता चला गया। इस प्रकार प्रथम हरित क्रांति किसानों की लूट करने, थाली में जहर पहुंचाने और जैव विविधता को प्रभावित करने के लिये कारण बनी। किसानों के बर्बादी में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरित क्रांति के जनक के नाते डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन किसान की दुर्दशा के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार माने जा सकते है। इस काम के लिये रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन ने डॉ. स्वामीनाथन की मदत की।

प्रथम हरित क्रांति का मूल उद्देश कृषि रसायनों और तथाकथित उन्नत संकर बीजों के व्यापार को प्रोत्साहित करना था। जिसके द्वारा भारत में खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि औजारों के बाजार का विस्तार किया गया। यह कहा जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद बारुद बनाने वाली कंपनियों ने बारुद के घटक नायट्रोजन, पोटाश और फास्फेट का

वैकल्पिक इस्तेमाल करने के लिये रासायनिक खाद का उत्पादन शुरु किया। हरित क्रांति ने उत्पादन वृद्धि के नाम पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को रासायनिक खेती के झांसे में लाकर रासायनिक खेती को पूरे देश में फैलाने का काम किया। कंपनियों ने सरकारी मदद से रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण किसानों को बेचकर उनकी लूट की।

अब दूसरी हरित क्रांति के लिये यूपीए के तत्कालीन कृषिमंत्री ने कहां है कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की 17 में से 16 सिफारिशें लागू की थी। एनडीए सरकार कह रही है कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नब्बे प्रतिशत लागू की है। अर्थमंत्री ने बजट पेश करते समय कहा कि सरकार पहले से स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत के डेढ़ गुना कीमत दे रही है। अब सरकार ने सी2 पर पचास प्रतिशत मिलाकर एमएसपी देने की घोषणा कर दी है। स्वामीनाथन स्वयं कहते है कि एनडीए सरकार उनके रिपोर्ट पर अच्छा काम कर रही है। फिर भी किसान की हालत बिगड़ती जा रही है। तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर सवाल उठता है।

स्वामीनाथन आयोग को खेती की आर्थिक व्यवहारता में सुधार कर किसान की न्यूनतम शुद्ध आय निर्धारण का काम सौपा गया था। तब वह किसानों की बगडती हालात को सुधारने, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिये बुनियादी सुझाव दे सकते थे। कृषि फसलों के शास्त्रीय पद्धति से मूल्यांकन करने और उसके आधार पर श्रम मूल्य देने या सभी कृषि उपज के दाम देने के लिये वैकल्पिक योजना सरकार को पेश कर सकते थे। लेकिन यह जानते हुये भी कि एमएसपी फसलों का उत्पादन मूल्य नहीं है उन्होंने एमएसपी में उत्पादन की भारित औसत लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य देने की सिफारिश की।

स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के अनुसार यह अनुमानित किया जा रहा है कि सी2 पर पचास प्रतिशत के आधार पर एमएसपी में सामान्यतः अधिकतम दो–तीन सौ रुपये तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। यह बढ़ोत्तरी भी तभी संभव है जब सरकार एमएसपी पर सभी फसलें खरीद करे या खुले बाजार में एमएसपी से नीचे फसल के खरीदने पर प्रतिबंध लगाये। आज ना ही सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है और न ही इसके लिये उन्होंने बजट में कोई प्रावधान किया है। स्वामीनाथन आयोग की आर्थिक सिफारिशें पूर्णताः लागू होने पर भी किसान के मासिक आय में अधिकतम 1000 रु. की बढ़ोतरी संभव है। आज किसान की केवल खेती से प्राप्त मासिक आय औसतन 3000 रु. है। वह बढ़कर 4000 रु. हो सकती है। अन्य मिलाकर कुल आय 6400 रु. से 7400 रु. हो सकती है। जबकि सरकार कुल आय को दोगुना करने का दावा कर रही है। वेतन आयोग के अनुसार परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं के लिये न्यूनतम मासिक आय 21000 रु. होनी चाहिये। यह स्पष्ट है कि स्वामीनाथन आयोग के आधार पर एमएसपी में थोड़ी बढ़ोतरी से किसानों को न्याय मिलना संभव नहीं है। किसानों के साथ फिर से धोका किया जा रहा है।

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये जीएम बीज, सिंचाई की व्यवस्था, फसल बीमा, कृषि ऋण का विस्तार, समूह खेती, यांत्रिक खेती, गोडाउन आदि की सिफारिश की गयी है। यह सारी व्यवस्थाएं किसानों को खेती से हटाकार कार्पोरेट खेती को बढ़ावा देने के लिये की जा रही है। सरकार इसी रास्ते चलकर किसानों को खेती से हटाना चाहती है। वह खेती पर केवल 20 प्रतिशत किसान रखना चाहती है जो पूंजी और तकनीक का इस्तेमाल कर सके। कृषि, बीमा, बैंकिंग में एफडीआई, जीएम बीज, ठेके की खेती, ई–नाम, आधुनिक खेती पद्धति और इजराईल खेती, निर्यातोन्मुखी खेती आदि को बढ़ावा देने की तैयारी इसीलिये की जा रही है। यह सदाबहार हरित क्रांति किसान को जड़ से उखाड़ने के लिये लाई गई है। नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से भारत की खेती पर कारपोरेटी कब्जा करने की शुरुआत हुई थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसान हित का नाटक कर कारपोरेट खेती की नींव को मजबूत करने का काम रही है। कारपोरेटी साजिश किस तरह काम करती है इसका स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उत्तम उदाहरण है।

कारपोरेट घराने किसान को लूटकर, खेती को घाटे का सौदा बनाकर भारत की खेती पर कब्जा करना चाहते है। उसके लिये वह किसान आंदोलन का भी उपयोग करना चाहते है। स्वामीनाथन आयोग लागू करो की मांग के लिये स्वामीनाथन फाउंडेशन और इससे लाभान्वित होने वाली कंपनियां काम कर रही है। वैश्विक तापमान वृद्धि से मुकाबला करने के लिये किसान परिवहन के लिये बैल शक्ति को बढ़ावा देने और रासायनिक खेती से मुक्त नई प्राकृतिक खेती के लिये गाय बैलों की रक्षा करने की आवश्यकता है। लेकिन उसे किसानों के लिये बोझ साबित कर गोवंश हत्याबंदी कानून हटाने की कोशिश हो रही है। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिये नदी जोड़ योजना की मांग सरकार और कार्पोरेट द्वारा प्रायोजित है। कंपनियों को जमीन पर कब्जा करने का रास्ता खोलने के लिये किसान विरोधी कानून हटाने के नाम पर किसान का सुरक्षा कवच बने सीलिंग एक्ट हटाने की मांग की जा रही है। देश के किसानों और किसान संगठनाओं को अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करते हुये किसान विरोधी षड़यंत्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ❑❑

वॉलमार्ट–फ्लिपकार्ट डीलः नीति आयोग व स्वदेशी जागरण मंच भिड़े

वॉलमार्ट–फ्लिपकार्ट सौदे पर नीति आयोग और स्वदेशी जागरण मंच सार्वजनिक प्लेटफार्म ट्विटर पर एकदूसरे से भिड़ गए। मंच के पदाधिकारी की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए हमले का जवाब खुद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दिया। उन्होंने इसमें कहा कि मंच ने हमेशा मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध किया है। उसने ई–कॉमर्स में एफडीआई का विरोध नहीं किया है। मंच के सह–संयोजक अश्वनी महाजन ने इस पूरे प्रकरण पर कहा कि सरकार ई–कॉमर्स कंपनी के सौदे पर चुप है। प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री ने वालमार्ट के सीईओ से मुलाकात तक नहीं की। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष कुमार इस सौदे का समर्थन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि इस सौदे का भारत में विदेशी निवेश पर अच्छा असर पड़ेगा। इसी वजह से उनकी गतिविधि को लेकर सीधे ट्विटर पर सवाल उठाया। याद रहे कि कुमार ने 16 अरब डॉलर के वालमार्ट–फ्लिपकार्ट सौदे पर कहा था कि यह सौदा भारत के एफडीआई मानदंडों के अनुरूप है। जबकि मंच का दावा है कि ई–कॉमर्स में एफडीआई को अनुमति ही नहीं है। इससे पहले मंच ने राष्ट्रीय हित की रक्षा के मद्देनजर प्रधानमंत्री से इस सौदे में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

ट्विटर पर महाजन ने राजीव कुमार को इंगित करते हुए कहा कि आप कैसे वॉलमार्ट को क्लीन चिट दे सकते हैं जबकि सरकार के पास मामला लंबित है और वह इस पर निर्णय लेगी। ट्विटर पर आगे आयोग के उपाध्यक्ष कुमार पर आरोप लगाते हुए महाजन ने कहा कि हम जानते हैं वालमार्ट के प्रति आपका प्रेम, लेकिन मौजूदा समय में आप नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर हैं। जवाब में कुमार ने कहा कि आप व्यापार में एफडीआई के मुद्दे पर सहमत हो सकते हैं या फिर असहमत, लेकिन आपने हमेशा मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई का विरोध किया है, ई–कॉमर्स में नहीं। इस प्रकरण पर महाजन ने बातचीत के दौरान कहा कि इस सौदे से छोटे–मझोले उद्यमों और छोटी दुकानों की मुश्किलें बढ़ेंगी।

उन्होंने कहा कि आयोग के उपाध्यक्ष कुमार सरकार की नीति के प्रति सजग नहीं हैं और उन्हें देश के छोटे–मझोले व्यापारियों का कोई खयाल नहीं है। सौदे पर जब पूरी सरकार चुप है, तब भी उनका वालमार्ट से प्रेम साफ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि वालमार्ट कारपोरेशन ने फ्लिपकार्ट में 77 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है, जो ई–कॉमर्स जगत का सबसे बड़ा सौदा है। भारतीय बाजार में उसका मुकाबला एक अन्य प्रमुख कंपनी ऐमजॉन से होगा। मंच ने आरोप लगाया है कि वालमार्ट देश के बाजार में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए यहां के नियमों को चकमा दे रही है।

https://www.amarujala.com/india-news/niti-aayog-and-swadeshi-jagran-manch-statement-walmart-flipkart-deal?pageId=1

मुद्रा योजना से स्वदेशी जागरण फाउंडेशन ऋण पर दिलाएगा ई–रिक्शा

स्वदेशी जागरण फाउंडेशन, चौपाल केसरिया केदारनाथ साहनी ई–रिक्शा स्वरोजगार योजना के सहयोग से कैथल में 101 ई–रिक्शा वितरित की जाएगी तथा 200 कामकाजी महिलाओं को लघु ऋण बांटे जाएंगे। स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली व हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री कमलजीत ने बताया कि 101 बेरोजगार युवा व युवतियों को बैंक के माध्यम से मुद्रा योजना से ई–रिक्शा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 20 हजार रुपए की डाउन पेमेंट चौपाल द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ई–रिक्शा का आरसी व बीमा खर्च ई–रिक्शा कंपनी की तरफ से दिलवाया जाएगा।

https://www.bhaskar.com/harayana/kaithal/news/latest-kaithal-news-024503-1904397.html

बाजार कैसे बिक सकता है?

स्वदेशी जागरण मंच ने फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की डील को गैरकानूनी, अनैतिक और देशहित के खिलाफ बताया है। मंच ने सवाल उठाया कि आखिर बाजार कैसे बिक सकता है? स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी को पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है।

अमेरिकी रीटेल चेन वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 77 प्रतिशत हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने एनबीटी से बात करते हुए कहा कि यह डील मेक इन इंडिया के भी खिलाफ है और हमने इसमें पीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह डील गैरकानूनी है क्योंकि ई–कॉमर्स में एफडीआई की इजाजत नहीं है। वॉलमार्ट इसमें चोर दरवाजे से आ रही है और कह रही है कि फ्लिपकार्ट तो महज एक प्लेटफॉर्म है। महाजन ने सवाल उठाया कि अगर यह महज एक प्लेटफॉर्म है तो यह एक तरीके से चांदनी चौक या कनॉट प्लेस जैसा बाजार हुआ और बाजार कैसे बिक सकता है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि जब शेयर ट्रांसफर होंगे तो पैसा वहीं जाएगा और हम अपना मार्केट खो रहे हैं। मार्केट किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है और यहां तो मार्केट ही बेच रहे हैं। किसी भी देश का मार्केट उसके अपने लोगों के हाथ में होना चाहिए। फ्लिपकार्ट यह कहता रहा है कि वह बस एक स्टार्टअप है और अब वह विदेशी को बेचकर निकल जाएगा।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वॉलमार्ट सातवीं सबसे बड़ी कंपनी है जो चीन से एक्सपोर्ट करती है। उन्होंने आशंका जताई कि अब ये हमारे देश में सारा चीन का माल बेचेंगे। इससे मेक इन इंडिया का क्या होगा। पीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि स्वदेशी जागरण मंच, संघ, बीजेपी सबका यह मानना है कि मल्टीब्रैंड रिटेल में एफडीआई न सिर्फ भारतीय उद्योगों को मारेगी बल्कि यह किसानों के हितों के भी खिलाफ है और मार्केट में जॉब के मौके कम करेगी।

आरबीआई ने बदले एनपीए नियम, एमएसएमई को मिलेगी राहत

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के एनपीए के नियमों में बदलाव करते हुए इन्हें आसान बनाने का प्रयास किया है। इससे एमएसएमई की उन इकाइयों को राहत मिलेगी जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इनपुट क्रेडिट लिंकेज तथा इससे जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं।

केंद्रीय वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि एमएसएमई को जारी समर्थन व राहत के तहत 31 दिसंबर, 2018 तक के बकाये के लिए जीएसटी तथा गैर–जीएसटी एमएसएमई के लिए एनपीए की पहचान की समय सीमा अब 180 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब 1 सितंबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 के बीच बकाया वाली सभी एमएसएमई पर 180 दिनों का एनपीए नियम लागू होगा। लेकिन इसका लाभ उसी एमएसएमई को होगा, जिसका खाता 31 अगस्त, 2017 को मानक स्थिति में था।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि विभिन्न राज्यों के कृषि ऋण छूट दिए जाने का बैंकों के एनपीए पर कोई प्रभाव नजर नहीं आया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकारों ने कृषि ऋण छूट अपने बजट के जरिए दी हैं, इसलिए बैंकों के एनपीए पर इसका सीधे कोई प्रभाव नहीं है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश ने पिछले साल 36359 करोड़ रुपये की ऋण छूट किसानों को दी थी। बाद में पंजाब व महाराष्ट्र ने भी इसका अनुसरण किया था। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कृषि ऋण छूट देने की घोषणा की है, जबकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया ने इसी सप्ताह 8500 करोड़ रुपये की कृषि ऋण छूट योजना पेश की है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में इन 5 बड़े राज्यों की कृषि ऋण छूट राज्यों के राजकोषीय घाटे को 1,07,700 करोड़ रुपये या उनके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.65 फीसदी रह सकती है। यदि राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा आंका जाए तो ये जीडीपी का 2.7 फीसदी या 4.48 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

https://www.amarujala.com/business/rbi-changed-npa-rule-msme-get-relief

कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंचाई होगी ब्रिज नं. 164 की

मोदी सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। इसी का एक हिस्सा है

नॉर्थ–ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में एक 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम–तुपुल–इंफाल रेलवे लाइन बन रही है। इसके तहत 137 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसी लाइन का एक हिस्सा है ब्रिज नं. 164, इसकी ऊंचाई 141 मीटर है।

दिल्ली की कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंचाई वाले इस ब्रिज को दुनिया का सबसे ऊंचा गार्टर रेल ब्रिज कहा जा रहा है। इस वक्त 139 मीटर ऊंचाई वाला यूरोप का माला–रिजेका वायाडक्ट दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है।

ब्रिज नं. 164 मणिपुर के नॉनी के निकट इजाई नदी की घाटी में बन रहा है। भारतीय रेलवे इसे बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल के तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस ब्रिज की लागत लगभग 400 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें सेफ्टी वर्क भी शामिल है। वहीं इंफाल तक की पूरी रेलवे लाइन को बनाने की लागत 13,800 करोड़ रुपए आंकी गई है। ब्रिज नं. 164 पर ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। यह 25 टन एक्सल लोड तक वाली फ्रेट ट्रेनों का वजन सह सकता है।

ब्रिज नं. 164 सीस्मिक जोन वी में स्थित होगा। यह जोन भूकंप की अधिकता वाली जोन है। लेकिन इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भूकंप से भी सुरक्षित रहेगा और लंबे समय तक बना रहेगा। साथ ही भारी बारिश या भूकंप के चलते लैंडस्लाइड से बचाव के लिए भी इसमें आधुनिक टेक्नीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-INFR-ECNM-infog-bridge-no-5890783-NOR.html

भारत महाशक्ति क्लब में शामिल

भारत ने 3 जून 2018 को अंतरमहाद्वीयीय (इंटरकंटिनेंटल) बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि–5 का परीक्षण किया। भारत इस तरह की मिसाइल को विकसित करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। अभी सिर्फ अमरीका, रूस, फ्रांस और चीन के पास की ऐसी मिसाइलें हैं। इस मिसाइल में 5–8 हजार किमी. तक प्रहार करने की क्षमता है।

ओडिशा के बालासोर जिले में अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) के चार नंबर लांचिंग कॉम्प्लेक्स से इसे आसमान में उड़ाया गया। 50 टन वजनी यह मिसाइल 17.5 मीटर लंबी है। यह अपने साथ एक टन वजन का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इस परीक्षण के साथ ही चीन के साथ

आधा यूरोप इस मिसाइल की जद में आ चुका है। मिसाइल ने हिंद महासागर में अपना अचूक निशाना लगाया।

https://epaper.jagran.com/ePaperArticle/04-jun-2018-edition-Baghpat-page_3-8223-7359-252.html

सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी बनी आईओसी

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी बनी है। उसने तेल एवं गैस का उत्पादन करने वाली ओएनजीसी को भी छोड़ दिया है। आईओसी के सबसे ज्यादा मुनाफे में रहने के बाद इस बात को लेकर सवाल उठने लगा है कि पेट्रोल, डीजल के चढ़ते दाम के बीच कंपनी को ईंधन सस्ते में बेचने के लिये सब्सिडी क्यों दी जानी चाहिये। हाल में इस तरह की रिपोर्टें आई थी कि सरकार ओएनजीसी तथा तेल, गैस उत्पादन से जुड़ी दूसरी कंपनियों को सब्सिडी में योगदान के लिये कह सकती है। आईओसी कारोबार के लिहाज से दशकों तक देश की सबसे बड़ी कंपनी रही। आईओसी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2017–18 में 12 प्रतिशत बढ़कर 21,346 करोड़ रुपये रहा। इससे पूर्व वित्त वर्ष में यह 19,106 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने पिछले सप्ताह ही वित्तीय परिणाम की घोषणा की।

वहीं आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ 2017–18 में 11.4 प्रतिशत बढ़कर 19,945 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार तीसरे साल सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही। कंपनी का मुनाफा 36,075 करोड़ रुपये रहा।

देश की सबसे बड़ी साफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सिर्विसेज का शुद्ध लाभ 2017–18 में 25,580 करोड़ रुपये रहा और यह दूसरी सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी रही।

ओएनजीसी लंबे समय तक सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी रही लेकिन तीन साल पहले निजी क्षेत्र की रिलायंस और टीसीएस से यह पिछड़ गयी। वास्तव में ओएनजीसी का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र की तीन खुदरा कंपनियों... इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के संयुक्त लाभ से भी अधिक था। लेकिन अब वह आईओसी से पिछड़ गई है।

पिछले सप्ताह एचपीसीएल ने वित्त वर्ष 2017—18 के वित्तीय परिणाम की घोषणा की और उसका शुद्ध लाभ 2017—18 में 6,357 करोड़ रुपये जबकि कारोबार 2.43 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं बीपीसीएल का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष में 7,919 करोड़ रुपये रहा। आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी पेट्रोलियम पदार्थों की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियां अचछा मुनाफा कमा रही हैं ऐसी स्थिति में ओएनजीसी और आयल इंडिया को उन्हों पेट्रोल, डीजल की सस्ते दाम पर बिक्री करने पर सब्सिडी में योगदान करने के लिये कहने पर सवाल उठने लगे हैं।

ओएनजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''उनके लाभ को देखिये। उन्हें किसी सब्सिडी समर्थन की जरूरत नहीं है।'' ओएनजीसी 30,000 से 35,000 करोड़ रुपये सालाना निवेश कर रही है और अगर फिर से उससे सब्सिडी पर ईंधन मांगा जाता है, तो उसके लिये स्थिति कठिन होगी। ओएनजीसी और आयल इंडिया ने जून 2015 तक कच्चे तेल पर 40 प्रतिशत ईंधन सब्सिडी का भुगतान किया है।

https://www.jansatta.com/business/ioc-most-profitable-psu-for-2nd-year-in-a-row/674375/

पतंजलि को टक्कर देने की तैयारी में श्रीश्री आयुर्वेद

जहां एक तरफ बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद एफएमसीजी सेक्टर में एमएनसी कंपनियों को टक्कर देने का प्लान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्ट ऑफ लीविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर की कंपनी 'श्रीश्री आयुर्वेद' ने

भी पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। श्रीश्री आयुर्वेद भी 200 करोड़ का निवेश करने जा रही है। यह निवेश कंपनी विज्ञापन और प्रमोशन में करेगी। इसमें टीवी, प्रिंट, डिजिटल, आउटडोर और अन्य तरह के प्रमोशन शामिल हैं।

बंगलूरू स्थित इस कंपनी ने आईपीएल के 11वें सीजन में केवल टीवी पर दिए जाने वाले विज्ञापनों पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए थे। श्री श्री आयुर्वेद ट्रस्ट के सीईओ तेज कटपिटिया ने कहा कि कंपनी देश भर में 1000 से अधिक ब्रांडेड स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। कंपनी जिन उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेगी उनमें टूथपेस्ट, किराने का सामान और पर्सनल केयर के उत्पाद शामिल हैं। अभी देश भर में पर्सनल केयर मार्केट 18500 करोड़ रुपये का है। कंपनी फेस वॉश, क्रीम और लोशन, शैम्पू, घी, चावल, नारियल तेल व गुड़ पर अपना ज्यादा फोकस करेगी।

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से टक्कर लेने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि हिंदुस्तान यूनीलीवर, कोलगेट, फ्यूचर ग्रुप, डाबर आदि ने भी अपने आयुर्वेद आधारित उत्पाद लांच कर दिए हैं। पतंजलि हर साल करीब 10 हजार करोड़ के उत्पाद बेचती है।

https://www.amarujala.com/business/corporate/sri-sri-ravishankar-to-take-on-patanjali-will-invest-200-crore-on-advertisement?pageId=1

नोटबंदी—जीएसटी का असर खत्म, आर्थिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत पर

नोटबंदी और जीएसटी से उभरते हुए एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। वित्त वर्ष 2017—18 की आखिरी तिमाही (जनवरी से मार्च) में जीडीपी दर 7.7 फीसदी रही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने यह आंकड़ा जारी किया। इसके साथ ही भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। वहीं, आखिरी तिमाही के लिए 7.4 फीसदी का अनुमान लगाया गया था। जबकि पिछली तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में जीडीपी दर 7.2 फीसदी रही थी। वहीं वित्त

वर्ष 2017–18 के लिए जीवीए 6.7 फीसदी रहा है।

चौथी तिमाही के जीडीपी विकास दर में औद्योगिक उत्पादन में तेजी का अहम योगदान है। कोर सेक्टर ने अप्रैल में 4.7 फीसदी ग्रोथ दर्ज की है जबकि मार्च में कोर सेक्टर की ग्रोथ 4.4 फीसदी थी। कोयला, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी सहित आठ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने कुल औद्योगिक उत्पादन में 40.27 फीसदी योगदान दिया है।

https://www.livehindustan.com/business/story-demonetization-gst-effect-ends-india-economic-growth-rate-reached-7-7-percent-1988801.html

वालमार्ट–फ्लिपकार्ट सौदाः नियामकीय मंजूरी के बाद कार्यवाही

देश की प्रमुख ई–कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने वालमार्ट के साथ हुई 16 अरब डॉलर की डील के संबंध में आयकर विभाग को जानकारी दे दी है। हालांकि आयकर विभाग इस डील पर तभी कार्यवाही करेगा जब इसे नियामकीय मंजूरी मिल जाएगी। भारत सरकार का कर विभाग फ्लिपकार्ट की ओर से दिए गए विवरण पर अभी गौर कर रहा है। यह सौदा हो जाने के बाद विभाग नोटिस जारी कर विदहोल्डिंग कर का ब्यौरा मांगा जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयकर की धारा195 के अंतर्गत विदेशियों से होने वाली डील में टैक्स जमा करना होता है। इसे विदहोल्डिंग कर भी कहते हैं। पिछले महीने कर विभाग ने वालमार्ट को पत्र लिखकर कहा था कि वह आयकर कानून की धारा 195 (2) के तहत कर देनदारी के बारे में दिशानिर्देश के लिए अनुरोध कर सकती है। अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में हमारी ओर से किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है, हम इस सौदे को नियामकीय मंजूरी मिलने तक का इंतजार करेंगे।

https://www.jagran.com/business/biz-tax-deptt-will-act-once-walmart-obtains-regulatory-nod-18037449.html

अब रेलवे खुद बताएगा टिकट कन्फर्म होगा या नहीं

ट्रेन का टिकट बुक करते समय रेलवे खुद बताएगा कि आपका टिकट कनफर्म होने की संभावना कितनी है। अब तक कई निजी वेबसाइट इसकी जानकारी देती थीं लेकिन रेलवे का दावा है कि अन्य वेबसाइटों के मुकाबले उसकी जानकारी अधिक सटीक होगी। आईआरसीटीसी ने यह बदलाव यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए किया है। इस वेबसाइट में कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। वहीं पुरानी सुविधाओं को और उपयोगी बनाया गया है।

पिछले दो साल के डाटा के आधार पर रेलवे की वेबसाइट टिकट कनफर्म होने की संभावना अधिक सटीक बता पाएगी। क्योंकि दूसरी एजेंसियों के पास यह सुविधा नहीं है। प्रतीक्षा सूची अधिक लंबी होने पर यात्री को 'विकल्प' में ट्रेनों की सूची और बर्थ उपलब्धता का पता चल जाएगा।

टिकट बुकिंग से पहले ट्रेन और सीटों की उपलब्धता संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए लॉग–इन करने की जरूरत नहीं होगी। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ से जानकारी हासिल की जा सकेगी। यात्री को सिर्फ स्थान व यात्रा की तारीख दर्ज करनी होगी। अभी 15 दिन तक पुरानी वेबसाइट से ही लॉगइन कर सकेंगे। वेबपेज के एक ओर यूजर्स का नाम होगा उस पर क्लिक करते ही टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी बुकिंग के समय हर बार यात्री को अपना नाम, उम्र, आदि भरना पड़ता है। इसी कड़ी में यात्री माता–पिता, भाई–बहन आदि का पृथक कार्ड बना सकेंगे, जिससे एक क्लिक में टिकट बुक की जा सकेगी।

वेबसाइट के नए संस्करण में यात्री अपने पसंदीदा एक बैंक अथवा छह बैंकों की जानकारी फीड कर सकते हैं, जिससे उक्त बैंक से पैसे का भुगतान हो जाएगा। टिकट बुकिंग के बाद पेज पर डिसप्ले आ जाएगा। यात्री वेबसाइट पर फीड बैक भी दे सकेंगे।

https://www.livehindustan.com/ncr/story-now-the-railway-will-tell-whether-the-ticket-will-be-confirmed-or-not-1984639.html